

पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

दिसंबर 2018



पी.एच.बी.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Punjab & Sind Bank

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

(राजभाषा विभाग)



एक कदम स्वच्छता की ओर

नववर्ष की आप सभीको हार्दिक शुभकामनाएँ
2019



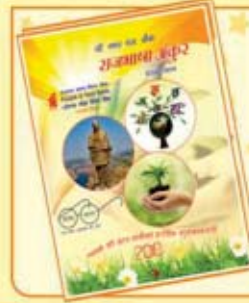
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

राजभाषा अंकुर

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाउस', प्रथम तल, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 125



दिसंबर 2018

मुख्य संरक्षक

एस. हरिशंकर
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संरक्षक

डॉ. फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

श्री गोविन्द एन.डोंग्रे
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री संजीव श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक सह मुख्य
राजभाषा अधिकारी

संपादक व प्रकाशक

श्री राजीव कुमार राय
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल

डॉ. नीरू पाठक
प्रबंधक

रूप कुमार
कौशलेन्द्र कुमार
राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : hindipatrika@psb.co.in

पंजीकरण सं. : एफ. 2(25) प्रैस. 91

(पत्रिका प्रकाशन तिथि : 25/01/2019)

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिक एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

मुद्रक : बी.एम. ऑफसेट प्रिन्टर्स

F-16, DSIIDC, Industrial Complex,
Rohtak Road, Nangloi, New Delhi - 110041
Ph. : 011-49147897, 9811068514

विषय-सूची

क्र.सं. विवरण	पृष्ठ सं.
1. संपादक मंडल/विषय सूची	1
2. आपकी कलम से	2
3. संपादकीय	3
4. राजभाषा अंकुर का गौरव	4
5. बैंकिंग प्रणाली में राजभाषा हिंदी	5-6
6. स्वच्छ भारत अभियान	7
7. ग्राहक के मुख से	8
8. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद-एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व	9-11
9. सतर्कता जागरूकता सप्ताह	12-13
10. भ्रष्टाचार की व्यापकता-भारत के परिप्रेक्ष्य में	14-16
11. राष्ट्रीय एकता दिवस	17
12. डिजिटल बैंकिंग	18-20
13. गौरव के क्षण	21
14. नराकास उपलब्धियाँ	22-23
15. गुरुपर्व का आयोजन	24
16. काव्य-मंजूषा	25
17. स्वच्छ समाज उन्नत समाज	26-27
18. हिंदी को संपर्क भाषा बनाने में इलेक्ट्रॉनिक.....	28-30
19. हिंदी/पंजाबी कार्यशाला	31
20. दक्षिण चीन सागर का बढ़ता विवाद...../अंतर आ.का. रा.शील्ड	32-33
21. हिंदी जन-गण-मन की भाषा	34-36
22. ज़रा सोचिए/कार्टून कोना	37
23. कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन (मलयालम भाषा में हिंदी रूपांतर सहित)	38-39
24. बैंकों में घोखाधड़ी-एक संपूर्ण आयाम	40-43
25. विकास की भाषा बनती हिंदी	44



आपकी कलम से.....



महोदय,

राजभाषा अंकुर का सितंबर 2018 का राजभाषा विशेषांक प्राप्त हुआ।

पत्रिका के इस अंक (राजभाषा विशेषांक) में कई लेख पठनीय हैं। संपादक महोदय का लेख “हिंदी दिवस: हिंदी के लिए एक दिन क्यों? देश में हिंदी के यथार्थ को विवृत कर रही है। आपने ठीक ही कहा है कि आजादी के 71 वर्ष बाद भी हिंदी की इस स्थिति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारी मानसिकता है। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम सरकारी कार्यालयों में हिंदी को लागू नहीं कर सकेंगे। मानक हिंदी पर कौशलेन्द्र कुमार का लेख काफी सारगर्भित है।

बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों पर राजीव रावत जी का लेख भी ज्ञानवर्धक और पठनीय है।

पत्रिका के आवरण पृष्ठ से हमें जानकारी मिली है कि आपके बैंक को हिंदी कार्यान्वयन हेतु उप राष्ट्रपति महोदय से लगातार दूसरे वर्ष पुरस्कार मिला है। नव वर्ष के साथ-साथ पुरस्कार प्राप्ति के लिए भी आप सभी को कोटी-कोटी बधाई और शुभकामनाएँ।

डॉ. राजेश कुमार
दिल्ली विश्वविद्यालय

महोदय,

मुझे राजभाषा अंकुर का सितंबर 2018 का अंक प्राप्त हुआ। राजभाषा अंकुर पत्रिका अंक दर अंक तकनीकी व विभिन्न रुचिकर विषयवार लेख सामग्री और छायाचित्रों के बेहतर संकलन से सुसज्जित होती जा रही है। पत्रिका में कुछ लेखकों ने ऐसी कविताएँ लिखी हैं जो जीवन की वास्तविकता का परिचय कराती हैं। साथ ही विभिन्न लेख जो कि बैंकिंग संबंधी अति आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं वे सभी मैंने पढ़े। इसके बाद मेरी अन्य ज्ञानवर्धक विषयों को भी पढ़ने की उत्सुकता जागी। पत्रिका को पढ़ते समय मैंने प्रत्येक पन्ने के नीचे दिए गए रुचिकर उद्धरण व संदेश भी देखे जो कि समाज और जीवन की नैतिकता सिखाते हैं। वास्तव में हमारी राजभाषा अंकुर अत्यंत रुचिकर होती जा रही है। इसके लिए प्रधान कार्यालय के राजभाषा विभाग का प्रत्येक सदस्य बधाई का पात्र है। मेरी तरफ से राजभाषा विभाग की टीम को मंगलकामनाएं। मैं आप सभी (राजभाषा टीम) के माध्यम से राजभाषा अंकुर के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

जय हिन्द !!!

विनोद कुमार पाण्डेय
ऑचलिक प्रबन्धक, बरेली

महोदय,

हमें आपके कार्यालय से समस्त शाखाओं सहित अंचल कार्यालय, गुरुग्राम के लिए सितंबर 2018 का नवीनतम अंक प्राप्त हुआ है।

समस्त बैंक के स्टाफ द्वारा हिंदी कार्यों को बढ़ाने के लिए पूर्ण सहयोग तथा बैंक के प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा द्वारा कार्यों में गति लाने के लिए भरस्क प्रयास किए गए जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने बैंक द्वारा राजभाषा कार्यों के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रदान किए गए, ‘कीर्ति पुरस्कार’ द्वितीय स्थान हासिल किया जाना सम्भव हो पाया है। पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर सुशोभित चित्र में गृह मंत्रालय, नायडू द्वारा हमारे बैंक के माननीय कार्यकारी निदेशक महोदय को ‘कीर्ति पुरस्कार’ हासिल करते हुए देखने पर पत्रिका को चार चाँद से लग गए हैं। राजभाषा कार्यों में समस्त स्टाफ द्वारा किए गए इन प्रयासों के फलस्वरूप ही यह विशाल पुरस्कार हासिल करना सम्भव हो पाया है। इसके लिए हमारा समस्त पी.एस.बी. परिवार बधाई का पात्र है।

इस पत्रिका में दो रचनाएँ “हिंदी दिवस एक ही दिन क्यों” तथा ‘बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियाँ और समाधान’ लेखों में हिंदी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा बैंकिंग क्षेत्र की आ रही वर्तमान चुनौतियाँ और इसके सम्भावित समाधान से संबंधित बहुमूल्य विचार उभर कर आए हैं, जो प्रत्येक बैंकर के लिए ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी प्रतीत होते हैं। जिसके बिना बैंकिंग व्यवसाय में कार्य करना मानों अधूरा सा लगेगा। ‘सैनिक को सलाम’ जैसी लघु रचना भी देश-भक्ति का संदेश देते हुए तथा फौजियों के जीवन पर प्रकाश डालकर काफी प्रेरणादायक बन पड़ी है।

मेरी ओर से पत्रिका प्रकाशन के इस सफल प्रसास के लिए संपादक महोदय तथा संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

रश्मि क्वात्रा
ऑचलिक प्रबंधक





संपादकीय

प्रिय पाठको,

जब यह अंक आपको प्राप्त होगा, तब शिशिर ऋतु की सुनहरी धूप के साथ नववर्ष 2019 आपका स्वागत कर चुका होगा। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तथा राजभाषा विभाग की ओर से नव वर्ष की बहुत-बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं। नए वर्ष के आगमन के साथ राजभाषा अंकुर पत्रिका भी अपने हर अंक के साथ लगातार ऊंचाईयाँ छू रही है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हमारी पत्रिका “राजभाषा अंकुर” को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लिए न केवल राजभाषा विभाग बल्कि आप सभी बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से यह पत्रिका के प्रति आप सभी के प्रेम और सहयोग से ही संभव हो पाया है। न केवल बैंक के सभी भाषा-भाषी पत्रिका से जुड़ते जा रहे हैं बल्कि बैंक के ग्राहक भी पत्रिका से जुड़ रहे हैं जिससे पत्रिका का कलेवर विस्तृत होता जा रहा है। क्षेत्रीय भाषा-भाषी बैंक कार्मिकों की बढ़-चढ़कर सहभागिता हमारी पत्रिका को भाषिक एकता सूत्र में संजोकर और अधिक रुचिकर तथा पठनीय बना रही है। पत्रिका के इस गौरव को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आपकी सहभागिता ही हमारी सफलता का मूलभूत आधार रहेगी।

पत्रिका के प्रस्तुत अंक में राजभाषा हिंदी तथा बैंकिंग से संबंधित लेखों के साथ इस अवधि में घटित विभिन्न गतिविधियों जैसे स्वच्छ भारत अभियान, सतर्कता जागरूकता सप्ताह तथा एकता दिवस इत्यादि से संबंधित छायाचित्र तथा लेख अत्यंत रुचिकर तथा ज्ञानवर्धक हैं। भाषिक एकता सूत्र संयोजन की कड़ी में इस बार श्री वीनू जोस द्वारा रचित मलयालम लेख (हिंदी रूपांतर सहित) पत्रिका का विशेष आकर्षण है।

“राजभाषा अंकुर” एक प्रयास है बैंक में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का। आशा है कि बैंकिंग एवं साहित्यिक विविधताओं से परिपूर्ण “राजभाषा अंकुर” का यह अंक भी आपको पसंद आएगा। पत्रिका के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें, ताकि हम अपनी पत्रिका को अपने पाठकों की रुचि तथा आवश्यकतानुसार ढाल सकें।

(संजीव श्रीवास्तव)

उप महाप्रबंधक सह
मुख्य राजभाषा अधिकारी

“राजभाषा अंकुर” का गौरव

प्रिय संपादक,

आपके बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा प्रकाशित “राजभाषा अंकुर” का सितम्बर 2018 का अंक पहली बार मुझे प्राप्त हुआ। बैंक स्तर पर इतनी अच्छी पत्रिका निकालने हेतु आप सभी को बधाई। “राजभाषा अंकुर” अपने मुख्य पृष्ठ से ही पाठक का ध्यान आकर्षित कर रही है। राजभाषा विशेषांक का यह अंक विविध विषयों पर रोशनी डालता हुआ नजर आया जिसमें मुझे हिंदी दिवस: हिंदी के लिए एक ही दिन क्यों, सफरनामा तथा राजभाषा अधिकारी में नेतृत्व तथा आयोजन क्षमता पर लेख विशेष रुचिकर लगे। लेखकों को साधुवाद।

पत्रिका की साज-सज्जा, कलेवर व छाया चित्रों का मुद्रण स्तर सराहनीय है।
इतने सुन्दर प्रकाशन के लिए समस्त संपादक मण्डल तथा राजभाषा परिवार को मेरी हार्दिक बधाई।

आदित्य नाथ दास

आई. ए. एस

विशेष मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती

आदरणीय संपादक महोदय,

‘राजभाषा अंकुर’ का सितंबर-2018 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका के आवरण पृष्ठ में माननीय उपराष्ट्रपति श्री वैकेया नायडू के कर कमलों से बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री फरीद अहमद द्वारा राजभाषा कीर्ति सम्मान प्राप्त करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बैंक द्वारा लगातार दूसरे वर्ष भी इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करना बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों का राजभाषा हिंदी के प्रति अनुराग और उत्साह को प्रदर्शित करता है।

बीते कुछ वर्षों में पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने अनेक उपलब्धियाँ हासिल की है और इन उपलब्धियों को बैंक के अंतिम कर्मचारियों तक अग्रेषित करने के मंच के रूप में बैंक की गृह पत्रिका “राजभाषा अंकुर” अपना काम बखूबी कर रही है जिसके परिदृश्य में संपादक मंडल पूरे जोश व उमंग के साथ अपने दायित्व निर्वहन में लगा हुआ है बैंक के महाप्रबंधक श्री राजीव रावत जी का लेख “बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियाँ व समाधान” बैंकिंग गतिविधियों को समझने के लिए बेहतर है; इस तरह के लेखों को पत्रिका में नियमित रूप से स्थान प्रदान करना अपेक्षाकृत बेहतर होगा। राजभाषा विशेषांक में बैंक के मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव का लेख प्रत्येक भारतीय के लिए विचारणीय है, लेख में प्रो. नामवर सिंह की एक पंक्ति “जब किसी व्यक्ति के शरीर पर लकवा का प्रकोप होता है तो सबसे पहले उसका असर उसके जुबान पर देखने को मिलता है” लेख को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण है।

बीते कुछ समय से बैंक के विशेष स्तंभ “ग्राहक के मुख से, कार्टून कोना, क्षेत्रीय भाषा के लेख तथा ज़रा सोचिए?” किसी भी पत्रिका के लिए एक नवोन्मेषी प्रयोग हैं इससे पत्रिका और अधिक आकर्षक तथा बहुरंगी प्रतीत होती है।

मैं आशा करता हूँ कि पत्रिका के साथ-साथ बैंक का राजभाषा विभाग और उसी क्रम में बैंक भी नित नए आयाम स्थापित करेगा जो बैंक कर्मचारियों को अपने कार्यालयीन कार्य अधिक उत्साह के साथ हिंदी भाषा में करने के लिए प्रेरणादायक रहेगा। संपादक और संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई तथा समस्त बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

हरीश सिंह चौहान

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य)

बैंकिंग प्रणाली में राजभाषा हिंदी

कभी पत्थरों से आग जलाने वाले हम मानवों ने आज चाँद पर पहुँचना सीख लिया है। इतिहास, संस्कृति व सभ्यता के पथ पर हजारों वर्षों का सफर तय कर लिया है। हम मानवों का यह विकासोन्मुखी सफर कभी भी संभव नहीं होता, यदि हमारे पास अपनी भाषा न होती। भाषा अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त व सरल संवाहिका होती है। एक पीढ़ी बड़े संघर्ष से, बड़ी मेहनत से ज्ञान अर्जित करती है और तदन्तर अगली पीढ़ी को यह ज्ञान हस्तांतरित भी करती है। ज्ञान के इस हस्तांतरण की संवाहिका भाषा ही होती है। अतः भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति ही नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुभव, कौशल की संचित कोश भी होती है। जीवन का हर कोना, भाषा की सुरभि से सुवासित है। जीवन के हर प्रारूप के लिए एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता आया है। दैनन्दिन जीवन से लेकर खास मौकों के लिए हमारे पास एक विशिष्ट भाषा होती है। बैंकिंग भी हमारे जीवन में खास महत्व रखती है। हमारे जीवन के दैनन्दिन से लेकर खास मौकों तक में बैंकिंग की भूमिका उल्लेखनीय रहती है। शिक्षा, रोजगार, उपचार, व्यापार आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्यों में हम बैंक की ओर ही रुख करते हैं। बैंकिंग की भी एक खास भाषा होती है। यह भाषा कभी तकनीकी तो कभी साधारण होती है। बैंक के नियम, अधिनियम, कानून, करार आदि तकनीकी भाषा के अंतर्गत आते हैं तो वहीं योजनाओं का प्रसार-प्रचार आदि साधारण भाषा की श्रेणी में आते हैं। बैंक में इन दोनों तरह की भाषाओं का पर्याप्त महत्व है। इसे भाषा की खूबसूरती ही कहा जाएगा कि जटिल से जटिल विषय भी सरल भाषा में सरल प्रतीत होते हैं। बैंक के कई नियम, अधिनियम विषयानुरूप जटिलताओं को लिए हुए रहते हैं। अगर इन जटिलताओं को ली हुई भाषा को विशुद्ध रूप से ग्राहकों के सामने प्रस्तुत की जाए तो ज्यादातर ग्राहकों के लिए यह भाषा बोझिल एवं दुरुह ही होगी। अतः बैंक के योजनाओं के नियम किस तरह से ग्राहकों के लिए रुचिकर, सुबोध व आकर्षक लगे, यह प्रयोग में ली जाने वाली भाषा पर बहुत हद तक निर्भर करता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में भाषा की महत्ता निर्विवाद रूप से अति महत्वपूर्ण है। जैसाकि पूर्व में ही कहा है, भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं होती। वह व्यक्ति-समुदाय-राष्ट्र की पहचान और उसका स्वाभिमान भी होती है। इसलिए अगर राष्ट्र का स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखना है तो इसके लोगों की अपनी भाषा को भी बचाए रखना होगा, उसकी आवश्यकता और गौरव को बनाए रखना होगा। यह तभी संभव है जब राष्ट्र की भाषा को अधिकाधिक रूप से प्रयोग में लाया जाए और यह निहायत जरूरी भी है। भारत की एक बड़ी आबादी अभी तक भी शिक्षा व्यवस्था से दूर है। एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो साक्षर तो है पर शिक्षित नहीं है। शिक्षित लोगों में भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो जिसके शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रही है। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को और भी अधिक व्यापक, कुशल व समावेशी बनाना है तो भारत की भाषाई स्थिति को समझते हुए, इसके अनुरूप कार्य करना होगा।

भारतीय जन-मानस को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत की सबसे बृहत् भाषा हिंदी है। भारत में तकरीबन 80 करोड़ लोग हिंदी को अच्छे से बोल-समझ सकते हैं। आज भारत के दस राज्यों में

राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्य किया गया है। जिन राज्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है वहां भी हिंदी को बोलने या समझने वालों की संख्या काफी है। अतः संवैधानिक रूप से ना सही परंतु व्यवहारिक रूप से हिंदी भारत राष्ट्र की राष्ट्र-भाषा अवश्य है। हिंदी भारत की आत्मा में बसती है। ऊपर बैंकिंग प्रणाली में भाषा के महत्व को देखने समझने का प्रयास किया गया और यह पाया कि एक सफल बैंकिंग के लिए सहज, सरल एवं लोकप्रिय भाषा का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में हिंदी से ज्यादा सरल, सहज व लोकप्रिय भाषा कोई अन्य भाषा हो ही नहीं सकती। सच पूछा जाए तो भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए कोई एक भाषा अगर संपर्क भाषा के तौर पर मुकम्मल रूप से प्रयुक्त हो सकती है तो वो हिंदी ही है। आज की सरकार एवं पूर्व की सरकारों ने भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकिंग प्रणाली की सकारात्मक भूमिका को समझा है और बैंक के सहयोग से कई योजनाओं को लोकार्पित भी किया है। लेकिन आजादी के 71 वर्ष के बाद भी हमारे देश से गरीबी और भुखमरी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। कई भारी-भरकम सरकारी योजनाओं को चलाने के बावजूद भी आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल पायी है। अंत्योदय का सपना अब तक साकार नहीं हो पाया है। देश की एक बड़ी आबादी उभरते 'न्यू इंडिया' में शामिल नहीं हो पायी है और इन्हें जल्द से जल्द शामिल करना है। अगर इन सवालानों पर हम ईमानदारीपूर्वक सोचते हैं तो हम पाएंगे कि अपने देश की भाषा, जिसे हम सभी बेहतर ढंग से जानते हैं समझते हैं, के स्थान पर किसी विदेशी भाषा को तरजीह देना इन अवांछनीय स्थितियों के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। सरकार के द्वारा अच्छी नीयत से शुरु की गई लोकोन्मुखी योजनाओं को लोग भली भांति इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि यह उनकी भाषा में उपलब्ध नहीं होती है। हमारे यहां हर समुदाय का शैक्षणिक स्तर अलग अलग है। जैसाकि हम जानते हैं उच्च शिक्षित व्यक्ति निम्न शिक्षित व्यक्ति की भाषा को अच्छे से समझ लेता है परंतु एक निम्न शिक्षित व्यक्ति उच्च शिक्षित व्यक्ति की भाषा को नहीं समझ सकता है। बैंक के नियम, अधिनियम, करारनामा, प्रचार, प्रसार आदि की भाषा ऐसे लोगों के द्वारा बनाई जाती है जो उच्च शिक्षित होते हैं और कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो आम जन को समझ ही नहीं आती। इस प्रकार की भाषा के प्रयोग की जगह अगर अपने सबसे कम शिक्षित ग्राहकों को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग किया जाए तो यह कहीं ज्यादा कारगर होगा। कहने का तात्पर्य है कि समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध बैंकिंग प्रणाली को अगर वास्तविक अर्थों में अपने उद्देश्यों को पाना है तो अपने ज्यादा से ज्यादा कार्य जनभाषा में ही करना होगा और इस दृष्टि से हिंदी से बेहतर कोई और भाषा हो ही नहीं सकती।



पंकज द्विवेदी

बैंकिंग उद्योग में धोखाधड़ी की संभावना सदैव बनी रहती है। प्रौद्योगिकी से अगर सहूलियतें मिलती हैं तो कुछ नए खतरें भी प्रस्तुत होते हैं। बैंकिंग

के तकनीक के क्षेत्र में बैंकिंग जैसी समस्याओं से हम सब जूझ रहे हैं। बैंक का यह कर्तव्य है कि वो बैंकिंग से बचने के तौर तरीकों से सभी उपभोक्ताओं को अवगत कराए। जैसाकि पूर्व में ही देखा गया है, बैंक के ग्राहकों का शैक्षणिक स्तर एक समान नहीं होता है। अतः बैंक को वित्तीय साक्षरता ऐसी भाषा में उपलब्ध कराना चाहिए जो सभी के लिए सुबोध हो, सभी के लिए फायदेमंद हो। तकनीक तक पहुंच ही प्रौद्योगिकी का संपूर्ण चेहरा नहीं होता, बल्कि इस तकनीक से होने वाले वाली दिक्कतों से बचने का ज्ञान आना भी प्रौद्योगिकी का ही हिस्सा है। एक कम पढ़े लिखे आम आदमी को भी इस ज्ञान से परिचित होना अति आवश्यक है। इसी मकसद को पाने हेतु सभी लोगों को वित्तीय साक्षर होना चाहिए। अंग्रेजी की जगह अगर हिंदी में वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ा जाए तो यह कहीं ज्यादा असरदार होगी। अंग्रेजी न जानने वाले लोग उस वक्त संकोच में पड़ जाते हैं जब अंग्रेजी में उन्हें कुछ बताया जाता है और उन्हें कई बातें समझ में नहीं आती। पूछने में हीनता बोध के अहसास होने से वो इन बातों को फिर से पूछ भी नहीं पाते। फलतः जिस मकसद से बैंक अपने ग्राहकों को कुछ बताना चाहता है, कई मर्तबा वो अधूरी ही रह जाती है। इसका नुकसान बैंक व ग्राहक, दोनों को होता है। अतः बैंक व ग्राहक के आपसी रिश्तों की मजबूती भाषा पर बहुत हद तक निर्भर करती है और इस कार्य हेतु राजभाषा हिंदी का कोई विकल्प नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुवाहाटी से लेकर अहमदाबाद तक कोई एक भाषा जो इन सब के बीच प्रचलित है, संप्रेषण योग्य है, वह केवल हिंदी ही है। बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार में हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, परंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि बैंकिंग जगत ने अभी हिंदी के सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं किया है। हमें बैंकिंग प्रणाली में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक रूप से बढ़ाने का प्रयास करना होगा। ऐसा कर हम दोहरे लक्ष्यों को पा सकते हैं- 1. बैंकिंग को समावेशी विकास के साथ जोड़ना तथा 2. राजभाषा हिंदी के प्रति अपने सवैधानिक दायित्वों का निर्वहण। हमने अब तक यह समझने का प्रयास किया कि गरीबी उन्मूलन, सहज व्यापार की सुगमता, अंत्योदय का विकास, जैसी योजनाओं में बैंकिंग की सक्रिय भूमिका में राजभाषा हिंदी क्यों जरूरी है। अब हम यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि बैंक जैसे विशुद्ध रूप से मुनाफे पर केंद्रित उपक्रम में राजभाषा हिंदी के प्रति हमारा सवैधानिक दायित्व क्या है? हम जानते हैं कि सभी सरकारी कार्यालय राजभाषा हिंदी को लेकर सवैधानिक उपबंधों से बंधे हुए हैं। सरकारी बैंकों में भी यह लागू होता है। बैंक के कई कार्यों में राजभाषा हिंदी को लागू करना आसान है और आज इन कार्यों में ऐसा हो भी रहा है। परंतु कई कार्यों में यह मुश्किल है। बैंकिंग कार्यप्रणाली में प्रयुक्त हो रहे साफ्टवेयर मूलतः अंग्रेजी में कार्य करते हैं। परंतु राजभाषा हिंदी की सवैधानिक अनिवार्यता व हिंदी भाषा के साथ व्यापार की सुगमता के कारण बैंकिंग प्रणाली में हिंदी की संभावनाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे बैंक की सभी शाखाएं कम्प्यूटरीकृत हो चुकी हैं। जहाँ तक हमारे बैंकिंग कामकाज में हिंदी के प्रयोग की बात है तो बाजार में बहुत से साफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो द्विभाषी भी कार्य करते हैं। शाखाओं में फिनेकल आधारित सेवाओं में द्विभाषी सुविधा का प्रावधान किया जा रहा है। हमारे बैंक ने अपने एटीएम में भी हिंदी को जोड़ा है और अब एटीएम सेवा में हिंदी का विकल्प उपलब्ध है। तकनीक के क्षेत्र में हिंदी को ध्यान में रखकर कई ऐसे साफ्टवेयर लाए गए हैं जो हिंदी में कार्य करने को सहज कर रहे हैं। यूनिकोड ने हिंदी में कार्य करने की संभावनाओं में क्रांतिकारी बदलाव

ला दिया है। ऐसे पत्र-परिपत्र, कार्यालयीन आदेश आदि जो अब तक अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते थे या फिर हिंदी में विशेष रूप से दक्ष व्यक्ति के द्वारा ही तैयार किए जाते थे, आज किसी के द्वारा भी हिंदी में तैयार किए जा सकते हैं। यूनिकोड मानक सार्विक करैक्टर इनकोडिंग मानक है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए टेक्स्ट के निरूपण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर एकरूपता के लिए एकमात्र विकल्प करैक्टर इनकोडिंग के लिए यूनिकोड है। इसकी मदद से हम हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही बड़ी सहजता से सभी कार्य किये जा सकते हैं, कंप्यूटर पर हिंदी में सभी कार्य जैसे-वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ई-मेल, वेबसाइट निर्माण आदि किए जा सकते हैं, हिंदी में बनी फाइलों का बड़ी सहजता से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भेजा जा सकता है। हिंदी में टाइप कर कुछ भी सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं। राजभाषा अधिनियम के कई उपबंधों के अनुपालन में यूनिकोड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज स्क्रिप्टमैजिक की सहायता से एटीएम की पर्चियां ग्राहकों को हिंदी में भी मिल पा रही हैं। बैंकों में स्क्रिप्ट मैजिक साफ्टवेयर के माध्यम से ग्राहकों से संबंधित सेवाएं जैसे पासबुक प्रिंटिंग, खाता विवरणी, डीडी, एफडी की हिंदी में प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध है तथा किसी भी शाखा का ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। बैंकों की वेबसाइट भी पूर्णतया द्विभाषी(हिंदी+अंग्रेजी) हो चुकी हैं तथा बैंकों की मोबाइल ऐप एवं यूपीआई ऐप भी द्विभाषी(हिंदी+ अंग्रेजी) उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय, वित्तिय सेवाएं विभाग बैंकों में हिंदी को प्रयोग की स्वाभाविक भाषा बनाने हेतु काफी प्रयास कर रहा है। वित्त मंत्रालय, वित्तिय सेवाएं विभाग ने अपनी बैठकों में इस विषय पर काफी गंभीरता दिखलाई है तथा बैंकों के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शीर्ष अधिकारियों से लगातार संपर्क में भी हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि तकनीक की सहायता से आज बैंकिंग प्रणाली में भी राजभाषा हिंदी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। इस कार्य में सरकार का भी पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो रहा है। बैंकों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग व राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के निरीक्षण हेतु संसदीय समितियां भी बैंकों की शाखाओं, नियंत्रणकारी कार्यालयों का दौरा करती हैं। निरीक्षण में संतोषजनक प्रदर्शन करने के लिए बैंकों में हिंदी की स्थिति वास्तविक रूप में संतोषजनक दिखलाना होता है और यह तभी संभव हो सकता है जब हम उपलब्ध संसाधनों, तकनीक की सहायता से हिंदी में कार्य करें और खूब करें। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम बैंकिंग के सभी कार्य हिंदी में कर सकने में सक्षम होंगे। परंतु यह तभी संभव होगा जब हम हिंदी में कार्य करने को प्रतिबद्ध रहेंगे। तकनीक की खोज भी उसी दिशा में मुड़ती है जिधर आवश्यकता उसे ले जाती है। हमें भी तकनीकवीदों को यह बराबर अहसास दिलाते रहना होगा कि हम तकनीक में हिंदी के वर्तमान स्वरूप से संतुष्ट नहीं हैं और उस दिन के लिए प्रयत्नशील हैं जब अंग्रेजी भाषा में किए जा सकने वाले सभी कार्य राजभाषा हिंदी में भी किया जा सके। अपने लोगों के लिए की जाने वाली बैंकिंग भी तो अपने लोगों की भाषा में ही होनी चाहिए। संवाद से लेकर तकनीकी सहायता तक, हमें हिंदी को प्रथम भाषा के तौर पर प्रयोग करना होगा। हिंदी में कार्य करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है और व्यवसायिक आवश्यकता भी। अतः राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, यहां के लोगो के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हिंदी में सभी कार्य करना एक कारगर कदम होगा।

उप महाप्रबंधक(अग्रिम)

स्वच्छ भारत अभियान

गाँधी जयंती के अवसर पर संपूर्ण देश ने स्वच्छता दिवस मनाया। बैंक में 15 सितंबर 2018 से 02 अक्टूबर 2018 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया जिसके अंतर्गत 01 अक्टूबर को सभी बैंक कार्मिकों ने न केवल बैंक को बल्कि बैंक के आस-पास के परिसर को स्वच्छ बनाने के लिए श्रमदान किया। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. हरिशंकर जी ने बैंक के उच्च अधिकारियों तथा स्टाफ सदस्यों को संबोधित किया तथा सभी ने स्वच्छ भारत अभियान में बढ़-चढ़कर अपना योगदान दिया।





GST NO. - 07ADIPA3434F1Z1



पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

AGARWAL SALES CORPORATION

(Approved Defence & Govt. Contractors)

Deals in : IT, Communications, Security, Electronic, Electricals, Stationary & General Order Supplier

ग्राहक के मुख से

महोदय,

मैं, के.के. अग्रवाल पंजाब एण्ड सिंध बैंक की तिलक नगर शाखा से सन् 1999 से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने काम की शुरूआत बहुत ही छोटे स्तर से की थी किंतु तिलक नगर शाखा से जुड़ने के बाद जैसे मेरा भाग्य ही बदल गया। मेरा मुख्य काम भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की आपूर्ति से संबंधित है जहाँ हर काम नियम एवं समयबद्ध तरीके से ही होता है। समय पर टेंडर भरना, बैंक गारंटी देना, यह तब ही संभव है जब बैंक से पूरा सहयोग मिले। वहाँ समय की पाबंदी ही मुख्य बिंदु है। मेरा छोटे से छोटा काम हो या बड़ी से बड़ी बैंक गारंटी, मेरा काम कभी नहीं रुका और अग्रवाल सेल्स कॉर्पोरेशन लगातार तरक्की करता रहा।



के. के. अग्रवाल

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की शाखा तिलक नगर में समय समय पर शाखा प्रभारी और स्टाफ बदलता रहा किंतु पिछले 20 वर्षों में मुझे कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सभी ने अपना काम तत्परता से किया। स्टाफ की कमी या समय की कमी ने भी कभी बाधा उत्पन्न नहीं की। आज मैं जो भी हूँ केवल और केवल बैंक के कारण ही हूँ। शायद इसीलिए मेरे घर के पास अन्य बैंक होने के बावजूद मेरे परिवार के सभी सदस्यों के बचत खाते भी तिलक नगर शाखा में ही हैं और मेरा लॉकर भी तिलक नगर शाखा में ही है। यहाँ तक कि मेरी कंपनी के सभी कार्मिकों के खाते भी तिलक नगर शाखा में ही हैं। आज कई प्राइवेट बैंक हैं जिन्होंने समय समय पर मुझे अपने बैंक में खाता खोलने का प्रलोभन दिया किंतु पंजाब एण्ड सिंध बैंक से मेरा ऐसा नाता है कि मैं किसी ओर बैंक से जुड़ना ही नहीं चाहता। मैंने नया काम भी आरंभ किया है, बैंक ने नए काम में भी वित्तीय सहायता की है और मुझ पर पूरा विश्वास किया है।

मेरी
ईश्वर से
प्रार्थना है कि न
केवल तिलक नगर शाखा
बल्कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक
दिन दुगुनी - रात चौगुनी
तरक्की करे।

मैं तहेदिल से बैंक का आभारी हूँ और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि न केवल तिलक नगर शाखा बल्कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे।

धन्यवाद।

भवदीय,

के. के. अग्रवाल

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद-एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व



स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर लगातार दो बार निर्वाचित हुए- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की लोकप्रियता का आलम यह है कि अब भी संपूर्ण देश उन्हें प्रेम से राजेन्द्र बाबू या देशरत्न कह कर बुलाता है। स्वभाव में सहज गंभीरता, बौद्धिक प्रखरता, नैतिकता तथा रहन सहन में सरलता, कुल मिलाकर भारतीयता की सजीव मूर्ति थे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद। वे सदा सत्य व अहिंसा के लिए लड़े तथा अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। एक गाँव से चलकर राष्ट्रपति भवन तक की उनकी यात्रा में अनेक विपरीत परिस्थितियाँ आयीं किंतु अपने स्वभाव तथा कार्यशैली से उन्होंने सभी पर विजय प्राप्त की, इस लंबे सफर में उनके सभी मित्र रहे, शत्रु कोई भी नहीं था, इसीलिए गांधीजी ने उन्हें कहा - अजातशत्रु। हिंदी भाषा के प्रति उनका प्रेम अगाध था। हमारी राजभाषा उनकी सदैव ऋणी रहेगी। आइए उनके बारे में कुछ जाने।



बाबू राजेन्द्र प्रसाद का जन्म 02 नवंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में एक पढ़े-लिखे खानदान में हुआ था। इनके दादा हथुआ रियासत के दिवान थे और उन्होंने स्वयं भी जमीन खरीद ली इनके पिता महादेव सहाय इस जमींदारी की देखभाल करते थे। अपने पाँच बहन-भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए लाडले भी थे। इनके पिता संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे और माँ कमलेश्वरी देवी धार्मिक महिला थीं। रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना उनकी दिनचर्या थी। माँ को भी वे जल्दी उठा देते और सुबह की वेला में रामायण और महाभारत की कथा तथा भजन सुनना उन्हें बहुत प्रिय था। पाँच वर्ष की उम्र में ही राजेन्द्र बाबू की शिक्षा शुरू हो



डॉ. नीरू पाटक

गई, उन्होंने एक मौलवी से फारसी में शिक्षा लेना आरंभ किया। इसके पश्चात वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा जिला के विद्यालय में पढ़ने लगे। वो पढ़ने में इतने मेधावी थे कि शिक्षक भी उनकी प्रतिभा देखकर हैरान हो जाते थे। कहा जाता है कि एक बार प्रश्नपत्र में दस में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर देने थे। किंतु राजेन्द्र बाबू ने दस के दस प्रश्नों के उत्तर दिए और लिख दिया कोई पाँच जाँचें। उनके दसों उत्तर सही थे। उनकी मेधा के स्तर को देख कर ही उनकी परीक्षा कॉपी जाँचने के बाद परीक्षक ने टिप्पणी की-परिक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा श्रेष्ठ है। छात्र जीवन से ही मेधावी राजेन्द्र बाबू का विवाह उस समय की परिपाटी के अनुसार बाल्य काल में ही, लगभग 13 वर्ष की उम्र में, राजवंशी देवी से हो गया। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी था

और उससे उनके अध्ययन अथवा अन्य कार्यों में कभी कोई रुकावट नहीं पड़ी। छपरा से ही विवाह के बाद 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सन् 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले जी जैसे विद्वान का ध्यान

अपनी ओर आकर्षित किया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ विधि परास्नातक (एलएलएम) की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में ही उन्होंने डॉक्टर की उपाधि भी हासिल की। राजेन्द्र बाबू दोनों हाथों से लिखते थे तथा स्मरण शक्ति इतनी विलक्षण थी कि जो एक बार पढ़ लेते थे वो याद हो जाता था।

राजेन्द्र बाबू ने अपनी पढ़ाई फारसी और उर्दू भाषा से आरंभ की किंतु बी० ए० में उन्होंने हिंदी ली। उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा के साहित्य से भी वे पूरी तरह परिचित थे तथा इन भाषाओं में सरलता से प्रभावकारी व्याख्यान भी देते थे। गुजराती भाषा का भी व्यावहारिक ज्ञान था। इतनी भाषाओं का ज्ञान होने पर भी लेखनी ने हिंदी को ही चुना। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में उनके लेख छपते थे। उनके द्वारा लिखित निबन्ध ज्ञानपूर्ण तथा अत्यंत प्रभावकारी होते थे। 1912 ई. में जब अखिल

दूसरों के प्रति वह व्यवहार कभी न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं।

भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कोलकाता में हुआ तब स्वागतकारिणी समिति के वे प्रधान मन्त्री थे। 1920 ई. में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वाँ अधिवेशन पटना में हुआ तब भी वे समिति के प्रधान मन्त्री थे तथा सन् 1923 में जब सम्मेलन का अधिवेशन काकीनाडा में होने वाला था तब वे समिति के अध्यक्ष मनोनीत हुए किंतु रुग्णता के कारण वे उसमें उपस्थित न हो सके थे। सन् 1926 में



वे बिहार प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के और 1927 में उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। हिन्दी में उनकी आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध तथा प्रेरणादायी है। अंग्रेजी में भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखीं। उन्होंने हिन्दी के देश और अंग्रेजी के पटना लॉ वीकली समाचार पत्र का सम्पादन भी किया। इसके साथ ही दो साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पदापण वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करते ही हो गया था। चम्पारण में गांधीजी ने एक तथ्य अन्वेषण समूह भेजे जाते समय उनसे अपने स्वयंसेवकों के साथ आने का अनुरोध किया और राजेन्द्र बाबू सब कुछ त्याग कर उस आंदोलन में कूद पड़े।

राजेन्द्र बाबू महात्मा गाँधी की निष्ठा, समर्पण एवं साहस से बहुत प्रभावित हुए और 1921 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पद त्याग दिया। गाँधीजी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की तो उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद, जो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे, उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिल करवाया। उन्होंने सर्चलाइट और देश जैसी पत्रिकाओं में इस विषय पर बहुत से लेख लिखे थे और इन अखबारों के लिए अक्सर वे धन जुटाने का काम भी करते थे। सन् 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफी बढ़चढ़ कर सेवा-कार्य किया। बिहार के 1934 के भूकंप के समय राजेन्द्र बाबू कारावास में थे। जेल से दो वर्ष में छूटने के पश्चात वे भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने में तन-मन से जुट गये और उन्होंने

वायसराय के जुटाये धन से कहीं अधिक धन अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जमा किया। सिंध और क्वेटा के भूकम्प के समय भी उन्होंने कई राहत-शिविरों का इंतजाम अपने हाथों में लिया और पूर्ण मनोयोग से सेवाकार्य किया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की सरलता, सादगी और समाज सेवा की घटनाएँ अनेक हैं। अपने को विशिष्ट या अन्य लोगों से अलग समझने की भावना उनमें कभी नहीं रही। एक बार डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पटना से दरभंगा जा रहे थे, उस समय अत्यंत भयानक गर्मी थी। रास्ते में सोनपुर स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो लोग प्यास से बुरी तरह त्राहि-त्राहि कर रहे थे। कुछ समय पहले आए भूकम्प के कारण स्टेशन के नल चल नहीं रहे थे। एक छोटी-सी प्याऊ थी, जहाँ एक ही व्यक्ति था जो सब की आवश्यकता पूरी करने की कोशिश कर रहा था पर हो नहीं पा रही थी। उन्होंने तत्काल अपना लोटा उठाया और पानी भर-भर के लोगों को पिलाने लगे। लोग उन्हें पानी के लिए आवाज देते और वे उधर ही पानी लेकर दौड़ पड़ते। उन्हें कोई संकोच न था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब उन्होंने अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की और निरंतर समाज सेवा में लगे रहे। अपने इसी स्वभाव के कारण ही जनता में अत्यंत लोकप्रिय थे।

1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गये। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर एक बार पुनः 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने सँभाला। जब गाँधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया तो उन्हें इसके लिए बिहार का मुख्य नेता बनाया गया था। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी।



भारत के स्वतन्त्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्हें देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पदभार सौंपा गया। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या सरकार को दखलअंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतन्त्र रूप से कार्य करते रहे। हिन्दू विवाह अधिनियम पारित करते समय उन्होंने काफी कड़ा रुख

अपनाया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई ऐसे दृष्टान्त छोड़े जो उनके बाद आने वालों के लिए मिसाल रहे। इतने उंचे पद पर होने के बावजूद वह पूर्व की तरह ही सरल जीवन जीते थे। उनकी वेशभूषा बड़ी सरल थी। उनके चेहरे मोहरे को देखकर पता ही नहीं लगता था कि वे इतने प्रतिभासम्पन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं। देखने में वे सामान्य किसान जैसे लगते थे। सादा जीवन, उच्च विचार के वे अनुपम उदाहरण हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि एक बार शिमला में स्थित गवर्नर हाउस जिसे अब एडवांस स्टडी कहा जाता है, जाने का मौका मिला। सुंदर कमरे, तरह तरह का लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर सभी को आकर्षित करता है किंतु वहाँ एक कमरा देखा, जहाँ एक निवाड़ का पलंग था, एक

दरी बिछी थी, एक छोटी चौकी थी। मैंने पूछा, ये कमरा किसका है, बताया गया, कि जब राजेन्द्र बाबू राष्ट्रपति थे, तब यहाँ रुके थे और इतना ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए वे 10 हजार रुपये के वेतन के स्थान पर केवल 2 हजार 8 सौ रुपये वेतन ही लेते थे। ऐसे थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद। हमें उनपर गर्व है और वे सदा राष्ट्र के प्रेरणास्त्रोत रहेंगे।

उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था जिसकी परिणति 26 जनवरी 1950 को भारत के एक गणतंत्र के रूप में हुई थी।

हिंदी भाषा के अनन्य पुजारी के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने हाईस्कूल तक हिंदी माध्यम से शिक्षा दिलाने तथा विश्वविद्यालयों में हिंदी को सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए अनेक उपाय तथा प्रयत्न किए। हिंदी को राजभाषा बनाने का श्रेय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को ही जाता है

राजेन्द्र बाबू ने अपनी आत्मकथा (1946) के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें बापू के कदमों में बाबू (1954), इण्डिया डिवाइडेड (1946), सत्याग्रह ऐट चम्पारण (1946), गान्धीजी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश ले लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाज़ा गया।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें डाक्टर ऑफ ला की सम्मानित उपाधि प्रदान की और कहा - “बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने अपने जीवन में सरल व निःस्वार्थ सेवा का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वकील के व्यवसाय में चरम उत्कर्ष की उपलब्धि दूर नहीं रह गई थी, इन्हें राष्ट्रीय कार्य के लिए आह्वान मिला और उन्होंने व्यक्तिगत भावी उन्नति की सभी संभावनाओं को त्यागकर गाँवों में गरीबों तथा दीन कृषकों के बीच काम करना स्वीकार किया।”

भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष
होने के साथ-साथ 11 दिसंबर 1946
को उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष
भी चुना गया। संविधान सभा के अंतर्गत 6 समितियाँ
थी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा की संचालन
समिति के अध्यक्ष भी रहे। 2 साल 11 महिने 18 दिन
की अवधि में हमारे देश के संविधान का निर्माण किया
गया। पहले संविधान का मसौदा तैयार किया गया
जिसे 26 नवंबर को मंजूरी मिली और 26 जनवरी
1950 को लागू किया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
को संविधान का आर्किटेक्ट
भी कहा जाता है।

सरोजिनी नायडू ने भी उनके बारे में लिखा था - “उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया है। गान्धी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था।”

राष्ट्रपति पद से मुक्ति के बाद वे दिल्ली के सरकारी आवास की बजाय पटना में अपने निजी आवास ‘सदाकत आश्रम’ में ही जाकर रहे। 28 फरवरी, 1963 को वहीं उनका देहान्त हुआ। उनके जन्म दिवस तीन दिसम्बर को देश में अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनसाधारण के राष्ट्रपति के रूप में विश्यात डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का व्यक्तित्व श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परम्परा की चट्टान सदृश्य आदर्शों से परिपूर्ण था, हमें उन पर गर्व है और वे सदा हमारे मार्ग-दर्शक रहेंगे। उन्हें शत-शत नमन।

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

मिनट व्यर्थ न करें, क्योंकि मिनट ही घंटे हो जाते हैं।

दिनांक 29/10/2018 से 03/11/2018 तक प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह



बैंक के स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, रोहिणी में ऑचलिक कार्यालय दिल्ली - 1 तथा दिल्ली -II ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. हरिशंकर जी, कार्यकारी निदेशक डॉ. फरीद अहमद जी, श्री गोविंद एन. डोंग्रे जी, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री संजय जैन जी तथा दिल्ली 1 तथा 2 के ऑचलिक प्रबंधक क्रमशः श्री प्रवीण मोंगिया तथा सुश्री रश्मि क्वात्रा के साथ अन्य उच्चाधिकारियों ने भी सहभागिता की।



बैंक के प्रधान कार्यालय, ऑचलिक कार्यालय तथा शाखाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय में बैंक के कार्यकारी निदेशक महोदय डॉ. फरीद अहमद जी ने कार्यालय के स्टाफ सदस्यों को संबोधित किया तथा सभी ने सत्यनिष्ठा शपथ ली।

बैंक के आंचलिक कार्यालयों के स्तर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ..



भ्रष्टाचार की व्यापकता- भारत के परिप्रेक्ष्य में



स्वराज चंद्र

अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भ्रष्टाचार को एक अवश्यभावी बुराई मानते हुए इसके 40 प्रकारों का उल्लेख किया है। उनके शब्दों में, जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद का स्वाद न ले पाना असंभव है उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी के लिए राज्य के राजस्व से एक भी अंश का भक्षण न करना असंभव है। प्राचीन एवं मध्यकाल में प्रशासन का क्षेत्र विकेन्द्रीकृत एवं सीमित था, फलस्वरूप भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम थी। आजकल प्रशासन के क्षेत्र में विस्तार के साथ-साथ भ्रष्टाचार की मात्रा में भी असाधारण वृद्धि हुई है। अकबर कालीन अब्दुल नबी, मुख्य सदर और दौलत खान प्रमुख हरम अधिकारी के भ्रष्टाचार का किस्सा मशहूर है।

भ्रष्टाचार का व्यापक प्रसार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के दौरान हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधक जो प्रशासक भी थे, वो खुले तौर पर भ्रष्ट होकर आचरण करने लगे। उनके ऊपर लगाम लगाने वाला कोई प्राधिकार नहीं था। इस प्राधिकार को आते-आते 1858 हो गया, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। फिर भी अगले सौ सालों में एक श्रेष्ठ प्रशासनिक तंत्र के विकास के बावजूद राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभागों को व्यापक स्वविवेकी शक्तियाँ प्राप्त थी, फलस्वरूप उनके भ्रष्ट होने की पर्याप्त गुंजाइश थी। न्यायपालिका की छोटी अदालतों का भी यही हाल था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने तक भ्रष्टाचार अधिकांशतः प्रशासन के निम्न स्तर तक ही सीमित था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपजे परिस्थितियों ने भ्रष्टाचार के लिए अधिक अवसर उत्पन्न कर दिए। नियम एवं कानून की अवहेलना शुरू हो गयी और प्रत्येक कार्य को युद्ध के कार्य से गौण माना जाने लगा। इसने अधिकारियों को अपनी सत्ता का दुरुपयोग एवं स्वार्थपूर्ति करने का अवसर दिया। दैनंदिन वस्तुओं का इतना अभाव होने लगा कि सरकार ने बाध्य होकर व्यापार करने के लिए लाइसेंस देना आरंभ कर दिया। इन लाइसेंसों की अनिवार्यता ने बेईमान एवं चालाक व्यापारियों को बिना हिचकिचाहट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को घूस देने के लिए प्रेरित किया।

स्वतंत्रता के तुरंत बाद पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल रहा। देश का विभाजन हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, कश्मीर का युद्ध तथा रियासतों के एकीकरण की समस्या आयी। इन सबके कारण 'कानून का शासन' खंडित हो गया तथा लोक सेवकों में भ्रष्टाचार के लिए नवीन मार्ग खुल गए। स्वाधीन भारत में कल्याणकारी एवं समाजवादी

राज्य के आदर्श को अपनाया गया, जिससे राज्य के कार्यों में असाधारण वृद्धि हुई। पहले का पुलिस राज्य अब लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य हो चुका था। कानून व्यवस्था के साथ-साथ आर्थिक कार्य भी राज्यों का दायित्व हो गए। फलस्वरूप नियम, नियंत्रण, लाइसेंस, परमिट युग का आरंभ हुआ और भ्रष्टाचार के नए आयाम प्रकट हुए। विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की होड़

शुरू हो चुकी थी। राज्य तथा केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य जनता के प्रतिनिधियों का नवीन वर्ग भ्रष्ट लोक सेवकों के साथ मिल गया। प्रशासन और नैतिकता के संरक्षक स्वयं ही भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती एवं निजी स्वार्थों की पूर्ति में धँस गए। भारत में लंबे समय तक एक राजनीतिक

दल के हाथ में शक्ति एवं सत्ता का एकाधिकार रहा। इससे मंत्रियों, विधायकों एवं सांसदों को अपनी शक्ति का स्वयं के लाभ हेतु तथा परिवार, मित्रों एवं दल के साथियों के लाभ के लिए दुरुपयोग करने का अवसर मिल गया। व्यापार तथा उद्योगों में एकाधिकार से ज्यादा खातरनाक राजनीतिक एकाधिकार हैं। लोक-सेवकों के एहसान तले दबे राजनीतिज्ञ कमजोर पड़ते गए और इसका फायदा उठाकर लोक सेवक

निडर होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों के जो गड़बड़-घोटाले प्रकाश में आये उनकी फेहरिस्त काफी लम्बी है और उसमें क्रमवार वृद्धि होती जा रही है। इन मामलों में श्री कृष्ण मेनन का जीप कांड संचार मंत्री सुखराम का टेलीकॉम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, 1जी घोटाला, आदि। केंद्रीय स्तर के मंत्रियों द्वारा और राज्य में तो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट इतनी लम्बी है कि उनके मंत्रियों का स्थान काफी बाद में आता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद, बिहार के मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय और लालू प्रसाद यादव, झारखण्ड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले एवं अशोक चौहान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदुरप्पा के मामले उल्लेखनीय हैं।

तीसरे आम चुनाव का एक केस है जिसमें कानपुर के एक उद्योगपति रामरतन गुप्ता ने कांग्रेस के टिकट पर गोंडा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा।



लक्ष्य तय करके चलने वाले लोग ही सफल होते हैं।

इनके निर्वाचन के विरुद्ध चुनाव याचिका दायर कि गयी। चुनाव ट्रिब्यूनल ने इस चुनाव पर विचार करने के बाद कहा कि “चुनावों के इतिहास में यह एक विशेष मामला है जिसमें कि दोबारा मतगणना करने पर एक उम्मीदवार 21666 मतों से जीता है। उसे चुनाव कराने वाले कुछ सरकारी अधिकारियों का सक्रिय सहयोग मिला।” ट्रिब्यूनल का विचार था कि कांग्रेसी उम्मीदवार रामरतन गुप्ता को भ्रष्ट उपायों द्वारा सफल बनाने वाले रिटर्निंग अधिकारी का नाम एम सी निगम था। उसे इसके बदले चुनाव के बाद फैजाबाद का कमिश्नर बनाये जाने का आश्वासन दिया गया था। हालाँकि पहले उनको इस पदोन्नति के लिए मना किया जा चुका था।

संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन को “वाटरगेट कांड” के कारण त्यागपत्र देने को विवश होना पड़ा। 1975 में विमान निर्माण करने वाली लॉकहीड नमक अमेरिकी कंपनी द्वारा जापान के प्रधानमंत्री को तथा हॉलैंड और इटली के शिखरस्थ राजनीतिज्ञों को कंपनी के विमान खरीदने के लिए लाखों - करोड़ों डॉलर की धनराशि के रहस्योद्घाटन से स्पष्ट हुआ कि वर्तमान समय में बहुराष्ट्रीय व्यापारिक निगम राजनीतिज्ञों को कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्ट करते हैं। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ का भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का वहां के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदच्युति इसके ताज़ा उदाहरण हैं। भारत में ऐसे उदाहरण नहीं हैं, हालाँकि श्री राजीव गाँधी तथा श्री ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल भ्रष्टाचार को लेकर विवादस्पद रहा। श्री राजीव गाँधी का नाम बोफोर्स घोटाले में उछाला गया वहीं श्री ज्ञानी जैल अपने एक साक्षात्कार के कारण विवादों में रहे जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि वे राष्ट्रपति पद के चुनाव में फिर से उम्मीदवार बन जाते तो कुछ राजनितिक दल उनके चुनाव हेतु 30-40 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार थे। वर्तमान में भारत में भ्रष्टाचार का मुद्दा विधान सभा चुनावों से लेकर आम चुनावों में प्राथमिकता से उठाया जाता है, लेकिन इसे समाप्त करने को लेकर राजनितिक उदासीनता सर्वत्र दिखती है।

1964 में स्थापित भ्रष्टाचार निवारण समिति (के.संथानम समिति) की रिपोर्ट के अनुसार 1958 से 1962 के चार वर्षों में 2 करोड़ 38 लाख 24 हजार 142 रुपयों के लाइसेंस कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किये गए थे। बाजार में प्रत्येक लाइसेंस को उसकी कागजी कीमत से पांच गुनी कीमत पर बेचा जा सकता था। इस हिसाब से उपर्युक्त लाइसेन्सों द्वारा अनुचित साधनों से कमाई जाने वाली राशि लगभग 12 करोड़ रुपये थी। इसमें से कितना रुपया सरकारी कर्मचारियों की जेब गरम करने में गया, इसका सही अनुमान लगाना असंभव है। 1982 में भारत सरकार ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी को देश के काले धन की समस्या का अध्ययन करने का काम सौंपा था। इसकी रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है

सफलता दिखावट नहीं, बल्कि दृष्टिकोण है।

जिसे वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर रखा है। काला धन का अर्थ है वह धन जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। यह भ्रष्टाचार का परिणाम भी है और उसका एक बहुत बड़ा कारण या प्रेरणा भी कह सकते हैं। उपरोक्त रिसर्च पेपर में काले धन के जमा होने के कई कारणों की छानबीन की गई, पर अंत में उसका निष्कर्ष यह था कि काले धन की उपस्थिति की मुख्य जिम्मेदारी भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की है। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के एक अनुमान के अनुसार 1983 में देश में काला धन केवल 36786 करोड़ रुपये था जो अब कई गुना बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गया है। काले धन का यह आकार देश के सकल घरेलू उत्पाद के 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है। यह माना जा रहा है कि समस्त काले धन के भारत में आ जाने पर सरकार को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। इस काले धन के निर्माण का एक बहुत बड़ा कारण है विकास तथा निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि के एक अच्छे खासे भाग का भ्रष्ट नेता, अधिकारी तथा ठेकेदारों द्वारा बीच में ही हड़प लिया जाना। रिपोर्ट में आंकड़ों का हवाला देकर यह कहा गया कि “मंत्रीगण और ऊंचे अधिकारी अपने निजी लाभ के लिए इस तरह घूस वसूल करते हैं मानो वह उनका प्राइवेट टैक्स हो।” ग्लोबल फाइनेंसियल इंटेग्रिटी की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत काले धन के संग्रह में चौथे स्थान पर है।



खोजी पत्रकारों ने आज़ादी के पहले से ही भ्रष्टाचार के कई मामले को उजागर किए हैं, और भ्रष्टाचार में वृद्धि के साथ साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए पत्रकारों ने भी इन्हें व्यापक रूप से प्रकाशित एवं प्रसारित भी किया है। मार्च 2001 में तहलका टेपों में जो देखा गया वो अप्रत्याशित था। खोजी पत्रकारिता की अनोखी मिसाल पेश करते हुए तहलका डॉट कॉम ने प्रमुख राजनीतिज्ञों एवं सैन्य अधिकारियों के साथ वार्ता के ऐसे वीडियो टेप जारी किए जिनमें इन लोगों को रक्षा सौदे को संपन्न कराने के लिए कमीशन लेने को तैयार दिखाया था। ऑपरेशन दुर्योधन में संसद में सवाल उठाने के लिए कथित रूप से घूस लेने वाले 11 सांसदों का पर्दाफाश किया गया। नीरा राडिया टेप गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग तथा कर चोरी से सम्बंधित था। खोजी पत्रकारिता द्वारा भ्रष्टाचार का पीछा देश की सीमाओं को भी लाँघ गया है। काला धन का स्विस् कनेक्शन अब पुरानी बात है। टैक्स हेवेन जैसे नए खिलाड़ी अब इस मैदान में स्कोर कर रहे हैं। टैक्स हेवेन उन देशों को कहा जाता है जहाँ विदेशियों के लिए उच्च गोपनीयता के साथ कम टैक्स दर का प्रावधान है। अब एफडीआई एवं एफआईआई के माध्यम से काला धन पुरे विश्व में भ्रमण कर रहा है। कई भारतीय भी इस तरह के कारोबार में लिप्त पाए गए हैं, जिनमें गणमान्य नेता, अभिनेता तथा अधिकारी शामिल हैं। खोजी पत्रकारों के ग्लोबल समूहों ने अपने प्रयासों से पनामा पेपर लीक्स, पैराडाइज पेपर लीक्स आदि के माध्यम से कई सफेद पोशों को बेनकाब किया। इसका प्रभाव कई देशों में

यहां तक हुआ कि उनके राष्ट्राध्यक्ष तक को हटाया गया। हालाँकि कई भारतियों का भी इसमें नाम है लेकिन भारत सरकार इस मामले में बहुत सुस्त है। यहां एसआईटी का गठन भी सर्वोच्च न्यायालय के दबाव में किया जाता है और बहु प्रतीक्षित लोकपाल आज भी प्रतीक्षारत है।

पिछले दिनों विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जो एलिक ने यह सनसनी खेज रहस्योद्घाटन किया कि हाल के वर्षों में विश्व बैंक ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की विभिन्न परियोजनाओं में जो आर्थिक सहायता या कर्ज दिया उसमें भारी घोटाला हुआ है। इस घोटाले की खबर अमेरिका में प्रायः सभी अखबारों में प्रकाशित हुई। इस भ्रष्टाचार में सरकारी अधिकारियों को घूस देना, योजना के कार्यान्वयन में धोखाधड़ी करना, फर्जी एनजीओ को वित्तीय सहायता और कर्ज देना, फर्जी दस्तावेज बनाकर कर्ज प्राप्त करना शामिल है। इन घोटालों के चलते भारत में एड्स, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों के इलाज पर जो खर्च होना था उसका 80 प्रतिशत भाग भ्रष्टाचारी मार ले गए। विश्व बैंक की महत्वपूर्ण एजेंसी आइएनटी ने पता लगाया है कि इन घोटालों और भ्रष्टाचार के कारण

भारत में संगीन बीमारियों से पीड़ित असंख्य गरीब लोग आर्थिक सहायता से वंचित रह गए हैं। यह घोटाला कई तरीकों से हुआ है, जैसे अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिली भगत करके अनुदान को भ्रष्ट तरीके से हड़प लिया, यदि स्वास्थ्य योजनाओं के लिए किसी भवन का निर्माण हुआ या कुछ आधुनिकतम मशीनें खरीदी गई तो वे अधिकतर केवल कागज पर थीं। जो भवन बने वे आधे

अधूरे थे। छतों से पानी टपक रहा था और मशीनें घटिया क्वालिटी की खरीदी गयी। कई मामलों में तो पूरे का पूरा अस्पताल नहीं बना और उसे कागज पर बना हुआ दिखा दिया गया। सोने पर सुहागा यह कि सिविल इंजीनियरों ने अपनी निगरानी में अस्पताल भवन निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र तक दे दिया जो कभी बना ही नहीं। अस्पतालों में काम आने वाली विभिन्न कीमती मशीनें या तो खरीदी ही नहीं गईं और जो खरीदी भी गयी वे घटिया क्वालिटी की थीं। इन मशीनों की विश्व सनीयता संदिग्ध थी। इसी कारण इन मशीनों द्वारा किए गए विभिन्न पैथोलोजिकल टेस्ट पूरी तरह गलत साबित हुए। इन टेस्टों के आधार पर गलत दवाएँ भी दी गयी जिससे उनकी बीमारी और बढ़ गयी। इन परियोजनाओं में व्याप्त इस घिनौने भ्रष्टाचार का मुख्य कारण यह था कि छोटे और बड़े सरकारी अधिकारी जो इनका निरीक्षण करते थे उन्हें नियमित रूप से मोटी रकम रिश्वत में दी जाती थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य परियोजनाओं में जो वित्तीय सहायता दी गयी उनमें 90 प्रतिशत पैसे भ्रष्टाचार के कारण बिचौलिए उड़ा ले गए। फूड एंड ड्रग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए 5.40 करोड़ डॉलर की सहायता दी गयी थी जिसमें से 1 प्रतिशत भी इस परियोजना पर खर्च नहीं हुआ। इसी तरह एड्स की रोकथाम के लिए 19.40 करोड़ डॉलर की सहायता दी गयी थी, भ्रष्ट

अधिकारियों ने फर्जी कंपनियों से बेहद सस्ते मशीनों को अधिकतम मूल्य में खरीदा, जिसके टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल गलत आते थे। नतीजा यह हुआ कि एड्स जैसी खतरनाक बीमारी तेजी से फैलती गई और लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। भवन निर्माण के लिए, लेबोरेटरी बनाने के लिए या मशीन खरीदने के लिए जो लोग ठेकेदार बनकर निविदा देते थे वह एक ही व्यक्ति होता था या एक ही फर्म का अलग-अलग नाम रखकर निविदा किया करता था। इसका पता इस बात से चला कि निविदा देने वाले सभी ठेकेदारों का टेलीफोन नं. एक ही था। लेबोरेटरी के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता थी उनमें से 80 प्रतिशत उपकरण आए ही नहीं और झूठा सर्टिफिकेट दे दिया गया कि सारे उपकरण प्राप्त हो गए हैं।

दिसंबर 2001 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस पी भरुचा ने यह कहकर कि, बीस प्रतिशत न्यायाधीश भ्रष्ट हैं, तहलका मचा दिया था। भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वाली संस्था ग्लोबल फ्राइनेंसियल इंटीग्रिटी के अनुसार 1948 से 2008 के बीच 20 लाख 79 हजार करोड़ रुपया देश के बाहर गैर कानूनी तरीकों से ले जाए गए हैं। इतने पैसे से

यूपीए 1 के कृषि ऋण माफ़ी योजना को 35 बार लागू किया जा सकता था। वर्ष 2008 में भारत में काला धन 25 लाख करोड़ आँका गया था। अगर इसका इस्तेमाल विदेशी ऋणों के भुगतान में किया जाए, तो भी आधा पैसा बच जाएगा और इसे बांटा जाए तो प्रत्येक भारतीय को 14000 रुपये मिल सकते हैं। रिटेल कंपनी वालमार्ट ने भारत के बाजार में आने के लिए लॉन्गिंग पर 125

करोड़ रुपये खर्च किए। भारत में एफडीआई पर संसद में हुई चर्चा के लिए भी वालमार्ट ने लॉन्गिंग की और इस कार्य में उसने 10 करोड़ रुपये खर्च किए।

70 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भारत में भ्रष्टाचार का यह हाल है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, कोई फैक्ट्री लगानी हो, हवाई अड्डे या बंदरगाह से माल निकलवाना हो, किसी सरकारी अस्पताल में मरीज़ भर्ती करवाना हो या फिर सिर्फ बड़े साहब से मिलना हो, तो जब तक पैसे नहीं खिलाए जायेंगे, कोई भी सरकारी काम नहीं होने वाला। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिकारी से मंत्री तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आजकल अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक युवा से पूछें कि वह सरकारी नौकरी क्यों करना चाहता है तो बेझिझक जवाब मिलता है- ऊपरी आमदनी के लिए।

ऑचलिक कार्यालय,
देहरादून

नम्रता ही सभी अच्छे गुणों की बुनियाद है।



बैंक के प्रधान कार्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन



राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ

मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया सा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।



डिजिटल बैंकिंग

डिजिटल बैंकिंग का मतलब है तकनीक की मदद से बैंक को ग्राहकों तक पहुँचाना। खाता खुलवाने से लेकर लेन-देन करने तक तकनीक का इस्तेमाल डिजिटल बैंकिंग कहलाता है। डिजिटल बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम आदि शामिल हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि तकनीक की मदद से आपका बैंक हमेशा आपके साथ रहता है और कभी भी उसकी सेवाओं का फायदा उठाया जा सकता है। आज की रफ्तार भरी जिंदगी में जब सीमित समय में ही हमें सभी काम निबटाने होते हैं तो ऐसे में प्रत्येक मिनट का महत्व होता है। इसी भागादौड़ी के बीच यदि बैंक जाना पड़े तो आधा दिन तो चुटकियों में ही निकल जाता है। ऐसे में डिजिटल बैंकिंग ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। डिजिटल बैंकिंग अथवा ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आप मिनटों में पैसे का लेन-देन, लोन के लिए आवेदन व अन्य बैंक से संबंधित कई काम कर सकते हैं और तो और ये सब काम करते वक्त न ही आपका समय बरबाद होता है और न ही आपको इसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।



आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण ने जहाँ बैंकिंग के स्वरूप और उसकी संकल्पना तथा उसके प्रक्रियागत स्वरूप को अभिनव रूप प्रदान किया है, वहीं सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग ने बैंकिंग की मूलभूत अवधारणा, उसकी परम्परागत सोच और उसकी क्रियाविधि में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने 'वर्ग बैंकिंग' को 'जन बैंकिंग' में बदल दिया है, जिसके लिए बैंकिंग परिचालनों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में बैंकिंग जगत में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग गत दशक में बड़ी तेजी से बढ़ा है। इसमें सर्वप्रमुख हैं-

- (क) प्लास्टिक मुद्रा का चलन - प्लास्टिक मुद्रा से तात्पर्य है- क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि का प्रयोग। एटीएम की सहायता से जहाँ एटीएम कार्डधारक एटीएम से चौबीसों घंटे पैसे निकालने की सुविधा प्राप्त कर लेता है, वहीं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड की सहायता से नकदी को साथ ले जाने का जोखिम उठाये बिना कहीं भी भुगतान किया जा सकता है। एटीएम की सहायता से जहाँ नकदी का आहरण किया जा सकता



है, वहीं नकदी जमा भी की जा सकती है। अपने खाते की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, उसका विवरण प्राप्त किया जा

सकता है। इसी प्रकार क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सुविधा के कारण अब बैंकों / शाखाओं के परिसर में जाना अनिवार्य नहीं रह गया है। अब इनकी सहायता से कभी-भी, कहीं-भी और किसी-भी रूप में बैंकिंग (एएए) की सुविधा ग्राहकों को मिल गयी है। अब तो अनेक बैंकों ने अपनी लागत में कमी लाने तथा सुविधा का विस्तार करने की दृष्टि से 'शेयर्ड एटीएम प्रणाली' अपनायी शुरू कर दी है, जिसमें कई बैंक मिलकर संयुक्त एटीएम चलाते हैं और इससे सदस्य बैंक एक ही संयुक्त एटीएम कार्ड जारी कर ग्राहकों को अधिक सुविधा और सरलता प्रदान करते हैं।



रूप कुमार

एटीएम की सुविधा तथा प्लास्टिक मनी ने देश में बैंक ग्राहकों की संख्या में अपरिमित विस्तार किया है और असीम संभावनाओं के द्वार भी खोल दिए हैं। अब दूर-दराज के गावों में बैंक की शाखा खोले बिना भी बैंकिंग सुविधा पहुँच रही है। बैंकिंग का विकास गावों की ओर बैंकिंग को ले जाने में ही निहित है जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम से होकर जाता है। प्लास्टिक मुद्रा का चलन आज बैंकिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया है।

- (ख) फोन बैंकिंग तथा इंटरनेट बैंकिंग - बैंकिंग जगत में दूसरी क्रांतिकारी घटना है- फोन बैंकिंग तथा इंटरनेट बैंकिंग। इस बैंकिंग में जहाँ एक जगह पर आंकड़ों का संचयन कर दिया जाता है और आप अपने फोन पर ही अपने खातों की स्थिति का पता लगा सकते हैं, उसमें राशि का अंतरण या नामे कर सकते हैं। साथ ही कहीं बैठे आप फोन के जरिए बैंकिंग कारोबार कर सकते हैं। इसमें बैंक की सभी शाखाओं को आंतरिक इंटरनेट के जरिए जोड़ दिया जाता है।



‘कोर बैंकिंग’ इस दिशा में नवीनतम प्रयोग है, जिसमें बैंक की किसी भी शाखा में आपका खाता हो और आप उस बैंक की इंटरनेट से जुड़ी किसी भी शाखा से बैंकिंग लेन-देन कर सकते हैं। कितनी सिमट गयी दूरियाँ और कितना नजदीक आ गया है बैंक।

(ग) उच्च यांत्रिकीकरण और व्यापक कम्प्यूटरीकरण के कारण रिटेल बैंकिंग या खुदरा बैंकिंग का बढ़ता महत्व -

आप जब पहली बार बैंक के ग्राहक बनते हैं तो आप को अपनी ही व्यक्तिगत सूचनाओं का विश्लेषण कर, बैंक आपको एक से अधिक सेवाओं के लिए अपना ग्राहक बना लेते हैं, मसलन बैंकिंग के साथ-साथ आपको बीमा की कितनी आवश्यकता है, इसका विश्लेषण कर बैंक अब व्यापक बैंकिंग यूनिवर्सल भी करने लगे हैं। इसे एक रूप में ‘खुदरा बैंकिंग’ या ‘रिटेल बैंकिंग’ का नाम भी दिया जा रहा है तो दूसरी ओर इसी को ‘क्रास सेलिंग’ भी कहा गया है।

अब बैंक को नए-नए ग्राहक ढूँढ़ने की बजाय वर्तमान ग्राहकों को एक से अधिक प्रकार की लिखतें बेचकर जहाँ अपनी लागत में कमी, व्यवसाय में वृद्धि, श्रम में बचत तथा बैंकिंग सेवा का विस्तार मिलता है, वही ग्राहकों को अपनी बैंकिंग की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एक ही छत के नीचे या कभी-कभी एक ही खिड़की पर मिलने लगी हैं। यह वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी की बैंकिंग में गहरी पैठ का परिणाम है। इसमें आप आवास ऋण, यात्रा वित्त, वैयक्तिक ऋण, शिक्षा ऋण, त्यौहार ऋण, विवाह ऋण और जीवन बीमा या वाहन बीमा, यात्रा बीमा आदि की सुविधाएं ले सकते हैं। यह क्रास सेलिंग कंप्यूटर में डाटा संग्रहण तथा डाटा विश्लेषण का परिणाम है।



(घ) इंटरनेट बैंकिंग का बढ़ता दायरा -

सूचना प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रॉनिक के बढ़ते प्रयोग से बैंकिंग में युगान्तकारी परिवर्तन आ रहे हैं। इंटरनेट की सुविधा से आप आज

घर या आफिस में बैठे हुए हवाई यात्रा की बुकिंग, रेलवे की बुकिंग करा सकते हैं। अब इंटरनेट का प्रयोग निधियों को एक खाते से दूसरे खाते में अंतरण करने, विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के अलावा बैंकिंग की निपटान और भुगतान प्रणाली में भी काफी सीमा तक होने लगा है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निधियों के अंतरण अब इंटरनेट से होने लगे हैं। यह न केवल एक ही नगर में स्थित बैंकों में वरन् अन्य शहरों के बीच तथा अन्य देशों के बीच निधियों के अंतरण का एक महत्वपूर्ण साधन बन कर उभरा है। यह देशी तथा विदेशी बैंकिंग के बीच एक सहज और उपयोगी एवं सार्थक सेतु का कार्य कर रही है। इससे न केवल भुगतान एवं निपटान में तेजी आई है, बल्कि इससे विश्वसनीयता भी बढ़ी है।



सेटेलाइट का उपयोग करते हुए वी-सेट नेटवर्क की शुरूआत इंडियन फाइनेंसियल नेटवर्क (इनफिनिट) की शुरूआत देश और सीमा-पार दोनों प्रकारों के भुगतानों के लिए ‘पेमेंट सिस्टम जेनेरिक आर्किटेक्चर माडल’ का विकास -

इन सभी प्रणालियों से जहाँ बैंकिंग व्यवसाय में भुगतान प्रणाली, धन-प्रेषण, संदेश-प्रेषण में गति तथा विश्वसनीयता बढ़ी है, वहीं इससे निर्बाध बैंकिंग सेवा प्राप्त हुई है जो बहुत व्यापक तथा द्रुतगामी है। यह प्रणाली अति द्रुत गति से कार्य करती है तथा इससे चेक के मुद्रण की लागत, उन्हें भेजने की लागत और समय की भी बचत होती है, परन्तु इसके लिए बैंकों के कंप्यूटर काफी शक्तिशाली और उन्नत तकनीक वाले तथा इस सुविधा से सम्पन्न होने चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग जो कम्प्यूटरों का संयुक्त नेटवर्क है, इसमें सभी बैंकों के कम्प्यूटर इस नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इसके माध्यम से न केवल ग्राहक या दूसरे बैंकों से परस्पर समाधान चर्चा या लिखित रूप में संदेश भेजे जा सकते हैं या एक ही संदेश सभी या कई पार्टियों (बैंकों) को साथ-साथ भेजा जा सकता है। किसी भी उत्पाद या सुविधा की सूचना, परामर्श या वितरण की जानकारी देने या ग्राहक से

व्यवस्थित रूप से सम्पर्क रखे जाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।

इन्टरनेट बैंकिंग आज बैंकों के लिए अपेक्षित जानकारी देने, अपने उत्पाद घर बैठे बेचने का महत्वपूर्ण जरिया बन गयी है। यह कम खर्चीला और अधिक प्रभावी सम्पर्क प्रणाली प्रदान करती है। आरटीजीएस प्रणाली ने तो बैंकिंग में भुगतान और निपटान प्रणाली में क्रांति ही ला दी है।

‘डी-मेट’ खातों का प्रचलन -

शेयर बाजार भी इलैक्ट्रॉनिक सुविधा से काफी सीमा तक लाभान्वित हुआ है। अब शेयरों को डिपोजिटरी में डीमेट फार्म में रखना अनिवार्य कर दिए जाने से उनका लेन-देन, बिक्री और अंतरण करना आसान हो गया है।

इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा -

ईसीएस के माध्यम से टेलीफोन, बिजली के बिलों के भुगतान के अलावा बड़ी-बड़ी कम्पनियों का लाभांश, ब्याज करंट, पेंशन, कमीशन, धनवापसी आदेश भी जारी किए जाते हैं। इसमें कागजी प्रक्रिया और उसकी लागत में कमी और सेवाओं में त्वरिता आयी है। एनईएफटी के माध्यम से लिखित चेक के बिना भी धन राशि एक खाते से दूसरे खाते में जमा या नामे की जा सकती है। अब तो विदेशी लेन-देन भी कम्प्यूटर के जरिए आसानी से किये जा सकते हैं, इसे ‘टेलीबैंकिंग’ या ‘दूरस्थ बैंकिंग’ भी कहा जाता है जो सामान्य आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं और इससे उनका समय, श्रम और खर्च भी बचता है।

उपसंहार -

इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिजिटल बैंकिंग ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है, किंतु इसमें की गई थोड़ी सी भी लापरवाही आपको भारी नुकसान पहुँचा सकती है। जब आप बैंक की शाखा में जाकर बैंकिंग सेवाओं का फायदा उठाते हैं तो आपकी सूचना को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बैंक की होती है, किंतु जैसे ही आप डिजिटल बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जोखिम पर सेवाओं का फायदा उठाते हैं। ऐसे में निम्नलिखित सुरक्षा संबंधी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है-

- साइबर कैफे में जाकर आप ऑनलाइन बैंकिंग न करें। हैकर्स ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। अतः अपने पर्सनल कम्प्यूटर से ही डिजिटल बैंकिंग करें।

- आप जिस कम्प्यूटर से डिजिटल बैंकिंग करें उसमें ऐंटीवायरस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैकर्स अक्सर वायरस के जरिए ग्राहकों का अकाउंट हैक कर लेते हैं।
- अपने ऑनलाइन, मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड को न तो किसी को बताएं और न ही इसे ऐसी जगह लिख कर रखें जिससे किसी और की नजर उन पर पड़े।
- यदि आप को ऑनलाइन भुगतान करना हो तो साइबर कैफे में जाने के बजाय अपने पर्सनल कम्प्यूटर से करें। भुगतान करने के दौरान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी किसी वेबसाइट पर सेव न करें।
- यदि आप मोबाइल बैंकिंग करते हैं तो इसके लिए बैंकों के ऐप्लिकेशन डाउनलोड कर लें जो काफी सुरक्षित होते हैं। बैंकिंग करने के बाद ऐप्लिकेशन को बंद करके उसे लॉग आउट अवश्य कर दें।
- अक्सर लोगों के पास लॉटरी जीतने और विभिन्न ऑफर के ई-मेल आते हैं, जिनमें उनसे उनके अकाउंट नंबर व अन्य पासवर्ड जैसी जानकारी मांगी जाती है। ऐसे किसी प्रकार के ई-मेल का जवाब कभी न दें और न ही ऐसे ई-मेल को चैक करें।
- कई हैकर्स और साइबर अपराधी कस्टमर केयर कर्मी बनकर ग्राहकों से उनके अकाउंट से संबंधित जानकारी मांगते हैं। ऐसा कोई फोन आने पर आप अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी उपलब्ध न कराएं। बैंक कभी भी आप से इस प्रकार की सूचना, खासतौर पर पासवर्ड आदि नहीं मांगते हैं।
- डिजिटल बैंकिंग के दौरान यदि आप को अपने खाते में किसी भी प्रकार की अनियमितता नजर आए तो इसकी जानकारी फौरन अपने बैंक को दें।

इस प्रकार उपरोक्त सुरक्षा संबंधी जानकारी को ध्यान में रखकर डिजिटल बैंकिंग की जाए तो काफी हद तक जोखिमों से बचा जा सकता है।

प्रधान कार्यालय
राजभाषा विभाग

गौरव के क्षण



दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा बैंक की हिंदी पत्रिका राजभाषा अंकुर को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री केवल कृष्ण, उप निदेशक(कार्यान्वयन) प्रमोद कुमार शर्मा तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) श्री शैलेश कुमार सिंह के कर कमलों से शील्ड तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री संजीव श्रीवास्तव उप महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी तथा प्रबंधक सुश्री डॉ. नीरू पाठक।

हमें इन पर गर्व है



मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वर्ष 2018 का हिंदीतर भाषी हिंदी सेवी सम्मान हमारे बैंक के श्री जी. वी. रमन (तेलुगु भाषी), प्रबंधक आंचलिक कार्यालय भोपाल को प्राप्त हुआ।



मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भोपाल के अध्यक्ष श्री कैलाश चन्द्र व मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री जी. वी. रमन, प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय, भोपाल।

नराकास उपलब्धियाँ



दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा बैंक को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आंचलिक कार्यालय, नारायणा, नई दिल्ली को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया भारत सरकार, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री केवल कृष्ण, उप निदेशक(कार्यान्वयन) प्रमोद कुमार शर्मा तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) श्री शैलेश कुमार सिंह के कर कमलों से शील्ड तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए आंचलिक प्रबंधक नारायणा श्री लक्ष्मण सिंह भंडारी तथा प्रबंधक सुश्री मोनिका गुप्ता।



बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति देहरादून के अंतर्गत सिडबी द्वारा आयोजित ज्ञान प्रतियोगिता में सुश्री रश्मिता सुन्दरियाल, आंचलिक कार्यालय, देहरादून को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।



भोपाल अंचल के अधीनस्थ शाखा इटारसी को नराकास इटारसी द्वारा छमाही “जनवरी-जून 2018” में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए दिनांक 20. 08.2018 को “श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन द्वितीय पुरस्कार” प्रदान किया गया। नराकास अध्यक्ष श्री एच. आर. दीक्षित से शील्ड प्राप्त करते हुए शाखा अधिकारी श्री दीपक सैनी।

रचनाकारों से निवेदन

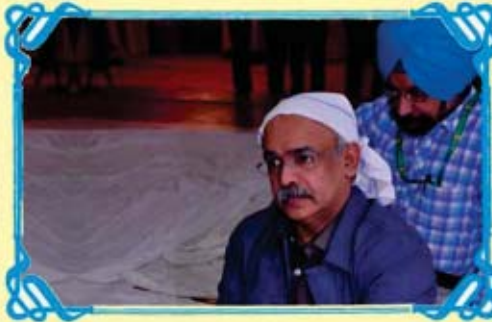
बैंक के प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही हिंदी गृह-पत्रिका “राजभाषा अंकुर” में प्रकाशन हेतु रचना भेजते समय कृपया अपना फोटो तथा रचना के अंतर्गत अपना नाम, शाखा/कार्यालय का पूरा पता, मोबाइल नंबर तथा अपने बैंक का खातासंख्या (14 अंकों का) भी अवश्य लिखें। बैंक से सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य रचना भेजते समय उपरोक्त के अतिरिक्त अपने घर का पता तथा अपना पेन (PAN No.) नं. भी अवश्य भेजें।

मुख्य संपादक

दिल्ली बैंक नराकास में हमारे बैंक की उपलब्धियाँ



प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरुपर्व पर कीर्तन गायन तथा लंगर का आयोजन किया गया। कीर्तन तथा लंगर के कुछ दृश्य।



कभी-कभी ऐसा लगता है

संजीव श्रीवास्तव

कभी-कभी ऐसा लगता है
कि मैंने ये कर के गलत किया
या मैंने वो कर के गलत किया
मैं ऐसा करता तो ठीक था....
या मैं वैसा करता तो ठीक था।

फिर ख्याल आता है कि.....
ये उहापोह या द्वंद व्यर्थ है,
कहते हैं “संशयात्मा विनश्यति”
क्या पता निर्णय ठीक हो
पर समय खराब हो!
समय ठीक हो पर कर्म खराब हो!
अतः पुनः लामबंद हो जाता हूँ
वक्त के थपेड़े सहने को
निष्काम कार्य करने को।

ये विश्वास ही है जीवन का सार
इसने ही कराई है अबतक नैया पार
समय के साथ चलने में
मुसीबतों का सर कुचल आगे बढ़ने में
विषम परिस्थितियों में भी,
जीवन का आनंद लेने में
बहारों के दर्शन होते हैं,
इससे ही मनुष्यता फलीभूत होती है।

मेट्रो में सामान्य यात्री

रिंकी कुमारी

मेट्रो में सामान्य यात्री सामान्य नहीं कहलाता है,
क्योंकि वह तो दिल्ली की मेट्रो में यात्रा करता जाता है,
जब सीट मिली तो दो लोगों की सीट साथ ले बैठे हैं,
जो ना मिले तो दरवाजे के कोने पाने की सोचे हैं,

जो वह भी ना मिल पाए तो जहां जगह मिले फिट हो जाते हैं,
जब फिट भी ना हो पाए तो अपनी जगह आप ही बनाते हैं,
ऊपर तो बोर्ड लगा है कि महिलाएं बैठी जाए,
लेकिन नीचे देखा तो भैया जी चैन फरमाए,

हेडफोन लगा आँखें मुंदे मेट्रो में बैठे हैं,
जैसे मोक्ष की राह पाने को आज ही का दिन समेटे हैं,
बेचारी महिला तेज ना हुई तो आवाज नहीं उठाती है,
खुद ही साइड हो जाती है,

जो मिल गई महिला तेज अगर तो भैया जी को सोने नहीं देगी,
इस जन्म का मोक्ष तो भूल जाइए,
अगले कई जन्मों का भी लेने नहीं देगी,
वृद्धों और लाचारों की सीटें भी नहीं छोड़ी जाती हैं,

हट्टे कट्टे इंसानों की टांगे तोड़ी जाती हैं,
झूठ बोलकर यात्रा करना इतना आसान नहीं है,
मेट्रो में यात्रा करने वाला यात्री सामान्य नहीं है,
मेट्रो का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है,

इसलिए महिलाएं इसमें सुरक्षित है,
हां, आपस में झगड़ा हो तो मेट्रो का रुकना है,
क्योंकि इन महिलाओं को और किसी से नहीं भय है,
मेट्रो में संगीत बजाना खाना-पीना सख्त मना है,

इसलिए हर यात्री हेडफोन की फांस में फंसा है,
मेट्रो में सामान्य यात्री सामान्य नहीं कहलाता है,
क्योंकि वह तो दिल्ली की मेट्रो में यात्रा करता जाता है।

स्वच्छ समाज उन्नत समाज

स्वच्छता मनुष्य के जीवन की सहज अनुभूति है। स्वच्छता हमारा संस्कार भी है परंतु कोफ्त के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वच्छता के प्रति हमें जितना संजीदा रहना चाहिए था उतना संजीदा हमारा समाज नहीं रहा है। पिछले कुछ दशकों में हमारी प्रवृत्ति सामूहिकता से व्यक्तिनिष्ठ होती गई है। हम इतने व्यक्तिनिष्ठ होते गए कि अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में क्या अपने घर से बाहर फेंकने से भी परहेज नहीं करते। हमारी इन्हीं उदासीनताओं को खत्म करने की नियत से वर्ष 2014 में महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया है जिसमें उनका मूल लक्ष्य समाज में जन-जागृति लाकर और बुनियादी आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देकर देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। महात्मा गांधी ने इससे भी आगे बढ़कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है और यदि वह स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ मनोदशा के साथ नहीं रह पाएगा। स्वस्थ मनोदशा से ही स्वस्थ चरित्र का विकास होगा। इसलिए स्वच्छता केवल साफ सफाई तक ही सीमित नहीं। वह इससे भी काफी आगे के चीज है। जब तक सरकारी प्रयास के साथ जन भागीदारी भी इसके साथ नहीं जुड़ती है तब तक इसे मुकम्मल नहीं किया जा सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छता को लेकर सरकारी और सहकारी दोनों तरह के प्रयास काफी तेज हुए हैं। सामान्य जन भी काफी जागरूक और इस विषय पर संजीदा हुआ है। स्वच्छता को व्यक्तिगत सेवा और जन सेवा के साथ-साथ देश सेवा भी माना जाने लगा है। लोगों के बीच यह जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसके साथ ही भारत सरकार ने स्वच्छता के लिए चतुर्दिक प्रयास प्रारंभ किया है जिसका परिणाम अब हमें दिखने भी लगा है।

पहले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों को पक्के आवास मुहैया करवाने की योजना मात्र चल रही थी। अब सरकारी अनुदान की सहायता से उस आवास के साथ शौचालय का निर्माण भी अनिवार्य रूप से करवाया जाता है। देश में स्वच्छ भारत अभियान के प्रारंभ होने से पूर्व (2014 में) जहां देश में मात्र 40 प्रतिशत परिवार के पास शौचालय की सुविधाएं थी तो वही चार साल के भीतर ही 90 प्रतिशत परिवार के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। आज देश में तीन लाख से ज्यादा गाँव और तीन सौ से अधिक जिले खुले में शौच से मुक्त हो चुके

हैं। अभी तक कुल छः करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण सरकार द्वारा किया जा चुका है। देश में खुले में शौच से मुक्ति हेतु पाँच करोड़ अभी और शौचालय बनाने का लक्ष्य सरकार ने ले रखा है। साथ ही सरकार ने लोगों की आदतों एवं मानसिकता में बदलाव लाने हेतु प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है।



विभाष कुमार



तो वहीं शहरी इलाकों में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़े पैमाने पर सस्ते घर, सार्वजनिक शौचालय आदि बनवाए जा रहे हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना उस शहरी गरीब लोगों जो मजबूरी में गंदी बस्ती में रहने को विवश थे, उनके सपने को साकार कर रहा है। वर्ष 2015 से शुरू इस योजना का लक्ष्य है कि आजादी के 75वें वर्ष (2022 तक) वैसे सभी गरीब शहरी परिवार जिनके पास पक्का घर नहीं हो उसे घर प्रदान किया जाए। घर वैसे हों जिसमें पानी, शौचालय, सीवरेज, सड़क के साथ-साथ चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति की भी व्यवस्था हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडबल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक वरदान बनकर आया है। जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लोग भी शहरों में कम लागत/ब्याज दर पर अपना घर खरीद सकते हैं।

नगरों/महानगरों में निम्न/मध्य वर्ग के बीच एक मुहावरा काफी प्रसिद्ध है। जिसे वे “शेल्टर पावर्टी” कहते हैं। जिसके कारण शहरों ज्यादातर जनसंख्या अमानवीय परिस्थिति में जीवन निर्वाह करने पर विवश

दूसरों को खुशी देना सर्वोत्तम दान है

है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों एवं अन्य बड़े शहरों में पचास हजार मासिक आमदनी वाला व्यक्ति भी घर खरीदने के लिए बमुश्किल सोच पाता है। इस संदर्भ में हम देखें तो कम आय वर्ग वाले लोग बमुश्किल अपनी बुनियादी जरूरत की चीजों की ही पूर्ति कर पाते हैं। उनके लिए कम लागत एवं कम ब्याज दर पर घर मुहैया करवाना उन्हें समाज में अपने वजूद की स्थापना करना है बल्कि उसे समाज की मुख्यधारा से भी जोड़ना है। जिससे वह स्लम बस्ती आदि से बाहर निकालकर गरिमायुजी जीवन जी सके।

वर्ष 2015 से शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी दूसरा चरण चल रहा है जिसमें देश के कुल 300 शहरों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कुल 100 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी आकड़ों का अवलोकन अगर करें तो हम पाते हैं कि 54 लाख से अधिक घर (फ्लैट) का निर्माण कार्य या तो प्रारंभ हो चुका है या बनकर तैयार हो गया है। इस योजना के पूर्णतः क्रियान्वयन होने के बाद हमारे शहर न केवल साफ-सुथरे बनेंगे अपितु झुग्गियों में दीन-हीन हालत में जीवन बसर कर रहे गरीब लोगों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आएगा। इस उल्लेखनीय बदलाव में अन्य सार्वजनिक बैंकों की तरह हमारा बैंक भी सदैव सहयोग करने को तत्पर है। न्यूनतम कागजी कार्यवाई और आसान किस्तों पर पंजाब एण्ड सिंध बैंक से आप ऋण लेकर सपने को साकार कर सकते हैं।

स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने हेतु एक तरफ सरकार आधारभूत संरचना को विकसित करने में सहायता कर रही है तो दूसरी तरफ स्वच्छता को लेकर अन्य प्रयास भी। शहरों में सबसे बड़ी समस्या अवशिष्ट प्रबंधन की थी। पिछले कुछ वर्षों में देश के सभी महापालिका एवं नगरनिगमों ने अवशिष्ट प्रबंधन को लेकर अभूतपूर्व कार्य किया है। इस कार्य में जन सामान्य की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। जन सामान्य जिसमें हम नहीं करते हैं तब तक हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती है।

आप कितने सभ्य और शिक्षित हैं इसका आकलन इस बात से होता है कि आप कितने स्वच्छ रहते हैं। आज स्वच्छ भारत अभियान सामूहिक प्रयास से जन-जन का अभियान बन गया है। इस बात की बानगी हमें इस बात से मिल सकती है कि स्वच्छता को समर्थन देते हुए कुल 100 करोड़ से अधिक लोगों ने श्रमदान दिया जो विश्व में स्वच्छता हेतु श्रम देने वाली

आप जैसे विचार का बीज बोते हैं वैसा ही कर्म फलता है।

जनसंख्या का आधा है। देश में सरकारी, गैर सरकारी क्या सभी प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हमारे बैंक के प्रधान कार्यालय स्तर पर और अधीनस्थ शाखाओं में भी प्रत्येक वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है जिसमें बैंक के शीर्षस्थ अधिकारी से लेकर कनिष्ठ अधिकारी तक अपना श्रमदान देते हैं। श्रमदान के साथ-साथ सीएसआर के माध्यम से स्वच्छ भारत कोश में आर्थिक योगदान भी कर रही है। जिसके कारण आपको यत्र-तत्र गंदगी कम ही देखने को मिलती है।

देश को स्वच्छ नहीं रहने के कारण न केवल देश-विदेश में भारत की छवि धूमिल होती है बल्कि इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे न केवल हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है बल्कि भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। विश्व बैंक के एक आकड़े के अनुसार गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों पर हम अपने जीडीपी का

कुल 6.4 प्रतिशत से अधिक खर्च कर देते हैं। यूनिसेफ ने अपने एक अध्ययन में कहा है कि हम स्वच्छता रखकर गंदगी से होने वाली बीमारियों पर होने वाले खर्च में औसतन पचास हजार रुपया से अधिक बचा सकते हैं। इस दृष्टि से भी स्वच्छता का महत्व काफी बढ़ जाता है।

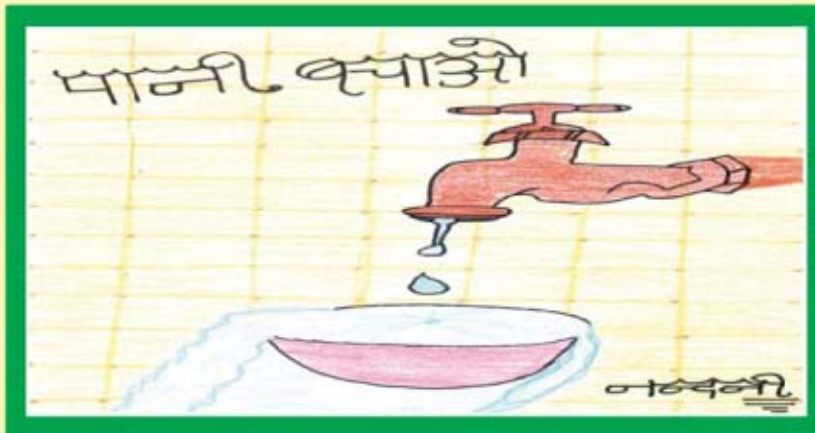
आज स्वच्छता हमारे देश के लोगों के जीवन का मुख्य ध्येय बन गया है। यह हमारी मानसिकता में बदलाव का द्योतक है।

हम सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। स्वच्छ भारत अभियान हमारे सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय पहलू से जुड़ा एक नेक काम है इसलिए हम सभी का एक ही नारा हो-

“जन-जन का हो एक ही नारा स्वच्छ भारत हो हमारा”

यह भारत को विश्व महाशक्ति बनने और विश्व पटल पर उसकी भव्य एवं सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करने में भी सहायता करेगी।

प्रधान का. राजभाषा विभाग



हिंदी को संपर्क भाषा बनाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका

ऋषिकेश कुमार

संचार एक इकाई से दूसरी इकाई में जानकारी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। समय के साथ, प्रौद्योगिकी ने प्रगति की है और संचार के बारे में नए रूपों और विचारों को बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संचार के आज के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मनोरंजन, नाटक या समाचार के माध्यम से समाज में समस्याओं को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने विभिन्न परिस्थितियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन को विकसित करने में लोगों को प्रभावित किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई रूप हैं जैसे टेलीविजन, रेडियो, वीडियो टेप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से इंटरनेट आदि।

इलेक्ट्रॉनिक संचार ने कारोबारी माहौल में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से व्यवसाय मीटिंगें, नोटिस आदि जैसे कर्मचारियों के बीच संभावित और संचार संदेश बनाये। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने विभिन्न शाखाओं में बैठे कर्मचारियों के बीच भी संभावित संचार किया और इस तरह एक संगठन को समान कार्यों का सामना करने वाले लोगों के साथ समुदाय में अधिक विकसित किया। यह सभी वर्गों के लिए संचार के तरीके को भी बदलता है।

हिंदी की महायात्रा में प्रिंट और इलेक्टॉनिक मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें अपनी मातृभाषा के प्रति अनुराग रखना चाहिए। जिस तरह हम अपने माता-पिता और पड़ोसियों का सम्मान करते हैं वैसे ही हिंदी का सम्मान भी करना चाहिए। हिंदी भाषा की ही देन है सूचना क्रांति। आज यूनिकोड के माध्यम से हिंदी के प्रयोग और उपयोग में आने वाली विभिन्न समस्याओं का निस्तारण सरलतापूर्वक किया जा रहा है। इसमें कंप्यूटर ने भी अपनी सहभागिता निभाई है।

आजकल, टेलीविजन मानव सब प्रकार से सबसे लोकप्रिय मीडिया बन गया है। यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण उपकरण है और लगभग हर परिवार इसका उपयोग करता है। आदर्श रूप से घर पर बैठकर, टीवी देखना, हम पूरी दुनिया में यह पूरी तरह से देख सकते हैं। टेलीविजन और टेलीविजन प्रसारण की उपस्थिति हमारे मनोरंजन को समृद्ध करती है। कई घटनाओं और प्रतिस्पर्धा को “लाइव” देखा जा सकता है और कई अनन्य फिल्में भी प्रस्तुत की जाती हैं। उदाहरण के लिए अब हम किसी भी प्रकार के खेल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस इत्यादि केवल के माध्यम से

देख सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से लोग विभिन्न भौगोलिक चैनल जैसे कुछ चैनलों के माध्यम से जीवन शैली, संस्कृति, प्रकृति जंगली जीवन के बारे में जान सकते हैं जो किसी अन्य देश के बारे में सोचने के तरीके को बदल सकता है।

यह वेब मीडिया का ही करिश्मा है कि आज घर बैठे हम ऑनलाइन हिंदी की अनेक किताबें पढ़ सकते हैं। हिंदी में अपने विचार लिखकर उन्हें एक बड़े तबके तक पहुंचा सकते हैं। न्यू मीडिया यानि वेब मीडिया के प्रति लोगों का आकर्षण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज की स्थिति में वेब और भाषा एक दूसरे के अहम सहयोगी माने जा सकते हैं। ये सच है कि वेब के असर से हिंदी के स्वरूप में इसके मूल स्वरूप से भिन्नता है। वेब मीडिया

के प्रयोगों के बावजूद हिंदी के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं है। दूसरी भाषाओं के कुछ शब्दों के प्रयोग से ही हिंदी वेब के लायक बनी अन्यथा अपने मूल स्वरूप में हिंदी एक दायरे तक सीमित होकर रह जाती। वेब मीडिया में हिंदी का विकास सन 2000 में यूनिकोड के आने के बाद 2003 में शुरू हुआ। 2003 में हिंदी में इंटरनेट सर्च और ई मेल की सुविधा की शुरुआत हुई। देखा जाए तो

हिंदी के विकास में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। 21वीं सदी के पहले दशक में ही गूगल न्यूज़, गूगल ट्रांसलेट तथा ऑनलाइन फोनेटिक टाइपिंग जैसे साधनों ने वेब की दुनिया में हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण सहायता की।

आज बड़े-बड़े हिंदी के लेखक जो भी लिखते हैं उसे एक सीमित दायरे से हटकर एक बड़े तबके तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। कोई भी किताब छपती है उसके प्रमोशन से लेकर लॉन्चिंग तक वेब मीडिया बड़ा योगदान दे रहा है। किताब के किसी छोटे से अंश को सोशल साइट्स पर शेयर करने से लोगों को उसे पढ़ने के प्रति दिलचस्पी होती है। इलेक्ट्रॉनिक संचार-माध्यम और कंप्यूटर आदि के उपयोग में हिंदी ने अपनी एक खास जगह बना ली है। इससे एक तरफ इन माध्यमों से हिंदी का प्रसार हो रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदी का अपना बाजार भी बन रहा है। हिंदी का अपना बाजार बनने से अंतराष्ट्रीय भूमिका मजबूत हो रही है।

आज लगभग हर वो व्यक्ति जो हिंदी में लिखना पसंद करता है, उसके लिए ब्लॉग एक सबसे कारगर माध्यम है। हजारों की संख्या में हिंदी ब्लॉग



वेब में मौजूद हैं। अपनी अभिव्यक्ति को अपनी भाषा में प्रदर्शित करने का सुख वेब मीडिया में ब्लॉगिंग के माध्यम से प्राप्त होता है।

आज जो हम अपनी छोटी से छोटी बातों को पोस्ट करके हजारों लाइक-कमेंट्स पाते हैं इससे पता चलता है कि हमारी पहुंच क्या है। एक समय था जब बात पहुंचाने के लिए कई दिन-महीने लगते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वेब मीडिया ने इन सभी सीमाओं को तोड़ा है। पहले हमें इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करने के लिए उसे अंग्रेजी में ही टाइप करना पड़ता था लेकिन, अब ऐसा नहीं है। जो भी सर्च करना है हिंदी में लिखने पर उपलब्ध हो जाता है। दिन व दिन सर्च रिजल्ट बढ़ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदी की पकड़ इंटरनेट पर दिन पर दिन मजबूत हो रही है।

प्रारम्भ में केवल फिल्मी क्षेत्रों से जुड़े गीत, संगीत और नृत्य से जुड़ी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का माध्यम बना एवं लंबे समय तक बना रहा, इससे ऐसा लगने लगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ फिल्मी कला क्षेत्रों से जुड़ी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के मंच तक ही सिमटकर रह गया है, जिसमें नैसर्गिक और स्वाभाविक प्रतिभा प्रदर्शन के अपेक्षा नकल को ज्यादा तवज्जो दी जाती रही है। कुछ अपवादों को छोड़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यह नई भूमिका अत्यन्त प्रशंसनीय और सराहनीय है, जो देश की प्रतिभाओं को प्रसिद्धि पाने और कला एवं हुनर के प्रदर्शन हेतु उचित मंच और अवसर प्रदान करने का कार्य कर रही है।

जन संचार के क्षेत्र में, हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक लोकप्रिय भाषा है, खासकर सभी टीवी चैनलों में। मुंबई में, भारतीय फिल्म उद्योग का केंद्र, जिसे “बॉलीवुड” भी कहा जाता है, लोग दक्षिण की विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं और हिंदी में फीचर फिल्म बनाने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, जो दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो रहा है।

हिंदी में टेलीविजन कार्यक्रम और धारावाहिक पूरे एशिया और उससे परे भी लोकप्रिय हैं। हिंदुस्तानी संगीत और हिंदी फिल्मी गाने वैश्विक रूप से बहुत लोकप्रिय हैं, विशेष रूप से एशियाई देशों में जैसे उज्बेकिस्तान और पूर्व सोवियत संघ के अन्य भागों में। भारत और पाकिस्तान ने हमेशा अपनी एकता का अनुभव फिल्म संगीत, हिंदी फिल्मों, गज़लों और सूफी संगीत के माध्यम से किया है।

संवादात्मक प्रिंट मीडिया में हिंदी भाषा का मूल्य भी सबसे बड़ा है, समाचार पत्रों की बड़ी संख्या हिंदी में प्रकाशित होती है। बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में हिंदी, पर्यटन, व्यापार, जन संचार और साहित्यिक संपर्क के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चूंकि ऑडियो-वीडियो मीडिया जगहों पर बोले गए शब्द पर महत्व दिया जाता है, अतः हिंदी में बोले गए वाक्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में ज्यादा लोकप्रिय और स्वीकार्य हो गए हैं।

ऑंचलिक कार्यालय, लुधियाना

मैं विचार हूँ, मुझे जानो

मेरा नाम विचार है। मैं मनुष्य के मस्तिष्क में बसता हूँ। कुछ लोग नकारात्मक सोच, काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, घृणा इत्यादि के रूप में मुझे अपने अवचेतन मन में रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति मेरी ताकत जोकि सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास, मानसिक बल, स्वस्थ शरीर, दया के भाव, निर्भय इत्यादि हैं, से वंचित होकर करीब 75% विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। मैं एक ही दिशा में सफर करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति निर्भय के विचार अपने अवचेतन मन में डालता है तो उस व्यक्ति को किसी से भय नहीं लग सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में विश्वास करता है तब उस व्यक्ति के अंदर अविश्वास तथा निराशा के विचार, मैं पनपने नहीं देता। जो व्यक्ति मेरी कीमत समझता है, मैं उसको मानसिक और शारीरिक

रोगों से स्वस्थ रखता हूँ और जीवन में उस व्यक्ति की उन्नति के लिए, मैं सहायक हूँ। जो व्यक्ति मेरी अमूल्य कीमत को न समझकर अपने रुपये, गहने, जमीन, जायदाद इत्यादि को महत्व देता है, उसका पतन किसी भी क्षण हो सकता है। आपके मस्तिष्क में, मैं अमूल्य शक्ति के रूप में रहता हूँ और, मैं आपकी सहायता के लिए किसी भी क्षण उपस्थित हो सकता हूँ।



प्रदीप कुमार

प्रधान कार्यालय
कार्यकारी निदेशक सचिवालय

आदमी जितना महान होगा उतना ही नम्र होगा।

अनमोल तोहफा

दोपहर का समय था, आज सीमा ने अपने दफ्तर से छुट्टी ली थी। सीमा अपने घर की बालकनी में रखी एक कुर्सी पर बैठी हुई पत्रिका पढ़ रही थी। उसके घर के पास से ही एक सड़क गुजरती थी, जो बालकनी से दूर तक साफ नजर आती थी। सड़क पर कुछ ज्यादा ही चहल-पहल थी। पास ही एक स्कूल था, बच्चों की छुट्टी हो गई थी जिस कारण से ज्यादा ही शोरगुल था। कुछ बच्चे अपने-अपने अभिभावकों के साथ, तो कुछ बच्चे अपनी-अपनी साईकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे। चारों तरफ स्कूल से घर जाते हुए बच्चों का शोर था। इस शोरगुल के कारण सीमा की नजर भी उसी तरफ पड़ी और वह घर जाते बच्चों को देखने लगी। तभी उसका ध्यान एक छोटी सी बच्ची पर गया, जो लगभग छः-सात साल की होगी, वह बच्ची अपने पापा का हाथ पकड़े चल रही थी और अपने पापा से लगातार बातें कर रही थी और उसके पापा उसकी हर बात पर मुस्कुरा रहे थे।

उस बच्ची को देखकर सीमा को अपना बचपन याद आ गया और कुछ सोचने लगी। सोचते-सोचते वह अपने अतीत में चली गई। जब वह छोटी थी तब वह भी इसी तरह अपने पापा का हाथ पकड़े और बातें करते-करते स्कूल से घर वापस आया करती थी और यदि रास्ते में आईसक्रीम वाले या गुब्बारे वाले मिल जाए तो पापा से खरीदवाने की जिद किया करती थी। पापा भी कभी इंकार नहीं करते थे। सीमा की हर इच्छा पूरी करते थे। जब वो दो साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर में उसके पापा के अलावा एक बूढ़ी दादी थी। माँ के गुजर जाने के बाद उसके पापा ही उसके के लिए सबकुछ थे। उसके पापा ने कभी माँ की कमी को महसूस नहीं होने दिया, उसके पापा उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे। पापा ही उसे स्कूल के लिए तैयार करते थे, स्कूल छोड़ने और स्कूल से लाने की जिम्मेदारी भी वही निभाते थे और शाम को उसके पापा काम पर चले जाया करते थे। यही उनकी दिनचर्या हुआ करती थी।

एक दिन उसने अपने पापा से कहा कि, “पापा आप मुझे इस बार मेरे जन्मदिन पर क्या दोगे?” पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, “बेटा तुम्हारे जन्मदिन को आने में अभी काफी समय है इसलिए तब तक तुम इंतजार करो।”

इस बात को कहने के कुछ दिनों बाद, रोज की तरह वह अपने पापा के साथ घर के पास ही एक बगीचे में गई। पापा खड़े-खड़े कसरत कर रहे थे और वो भी पास खड़े होकर पापा की देखादेखी कसरत करने लगी, तभी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। पापा यह देखकर बहुत डर गए। आस-पास से बहुत से लोग चारों ओर जमा हो गए थे। उसे होश में लाने की पूरी कोशिश की गई पर सब बेकार था। पापा ने जल्दी से उसको अपनी गोद में उठाया और गाड़ी में बैठकर उसे अस्पताल ले गए। जाँच करने के बाद डॉक्टर ने उसके पापा को बताया कि उसे दिल की बीमारी है और वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगी। यह सुनते ही जैसे उनके पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई, उनके आँखों से आँसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सारी खुशियाँ ही छीन गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पापा ने खुद को संभालते हुए डॉक्टर से कहा कि जैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए, वह रो-रोकर हाथ जोड़े डॉक्टर से विनती

कर रहे थे। तब तक वह होश में आ चुकी थी। उसे भी सब पता चल चुका था कि वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगी। उसने अपने पापा को अपने पास बुलाया और पूछा कि, “पापा क्या मैं मरने वाली हूँ?” पापा ने कहा, “नहीं बेटा तुम नहीं मर सकती, तुम जीओगी।” उसने फिर अपने पापा से पूछा कि, “आपको कैसे पता की मैं जीऊँगी।” उसके पापा ने जवाब दिया, “मुझे पता है बेटा।” यह कहकर पापा ने उसको गले लगा लिया और फूट-फूटकर रोने लगे।

इसके बाद लगातार इलाज चलता रहा। वक्त बीतता गया वो धीरे-धीरे ठीक हो रही थी। इस बीच में अक्सर अपनी दादी से पूछती थी कि पापा कहाँ हैं, पर दादी उसे कुछ नहीं कहती थी। कुछ समय बाद उसका जन्मदिन भी आ गया।

अस्पताल से घर आने के बाद अपने बिस्तर पर एक पत्र मिला, जो पापा ने रखा था। उसमें लिखा था-

“मेरी प्रिय बेटी,

जब तुम इस पत्र को पढ़ रही होगी, इसका मतलब सब ठीक हो गया है। तुम्हें याद है? एक बार तुमने मुझसे पूछा था, कि पापा आप मुझे इस बार मेरे जन्मदिन पर क्या दोगे, उस समय मैं नहीं जानता था कि तुम्हें क्या दूँगा? लेकिन अब तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें अपना दिल तोहफे में दे रहा हूँ। तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे सीने में”

तुम्हारे पापा

यह पढ़ते ही जैसे कुछ याद आया। आँखों से आँसू थम ही नहीं रहे थे। पापा ने मुझे बचाने के लिए अपना जीवन ही दे दिया था।

माँ तो पहले ही छोड़कर चली गई थी अब पापा भी...। मैं कैसे आगे का जीवन जी पाऊँगी। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। रोते-रोते सारा दिन बीत गया। तभी दादी ने कमरे की लाइट जलायी और दिल से एक आवाज़ आयी...सीमा, ये आवाज़ पापा की थी।

पापा द्वारा दिया गया जन्मदिन का सबसे अनमोल तोहफा, जब तक वो जिएगी उसके दिल के रूप में हमेशा उसके साथ ही रहेगा। उसके पापा उसे छोड़कर कहीं नहीं गए वो सदा उसके साथ ही हैं।

तभी अचानक कमरे से कामवाली बाई ने सीमा को आवाज़ दी, “दीदी खाना बन चुका है आकर खा लीजिए।” सीमा अपने अतीत से वापस लौट चुकी थी। उसके आँखों में आँसू थे। उसने अपने आँसूओं को पोंछते हुए दिल को बहुत ही प्रेम और आदर से सहलाया और कमरे के भीतर चली गई।

प्रधान कार्यालय लेखा एवं
लेखा परीक्षा विभाग



एडविन हॉसदा

हिंदी/पंजाबी कार्यशाला



आंचलिक कार्यालय, भोपाल



आंचलिक कार्यालय, गुरदासपुर



स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, रोहिणी



आंचलिक कार्यालय, गुरुग्राम

संगोष्ठी



आंचलिक कार्यालय नौएडा में “राजभाषा के प्रसार में तकनीकी के योगदान” विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें सभी स्टाफ-सदस्यों ने भाग लिया।



दक्षिण चीन सागर का बढ़ता विवाद: हो सकता है तीसरा महायुद्ध का महाकारण

कहते हैं इतिहास अपने आप को स्वयं दोहराता है, लेकिन ध्रुव सत्य तो यह भी है कि इन ऐतिहासिक घटनाओं के दोहराए जाने का क्रम बिल्कुल बेतरतीब नहीं होता। समग्रता एवं गहनता से अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास की किसी खास घटना की समाप्ति उस घटना की अगली श्रृंखला के बीज रोपण के साथ ही संभव हो पाती है।

उल्लेखनीय है कि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के अनेक आयाम थे, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख आयाम था मित्र राष्ट्रों द्वारा धुरी राष्ट्रों पर थोपी गई वर्साय की संधि। वर्साय की संधि के साथ ही मित्र राष्ट्रों का अहंकार संतुष्ट हुआ और इस महायुद्ध पर विराम चिह्न लगा। लेकिन वर्साय की संधि के नासूर से उपजा वह असहनीय पीड़ा लगभग दो दशक के अंदर ही दूसरे महायुद्ध के रूप में कराह उठी। ठीक इसी नाटकीय अंदाज में दूसरा महायुद्ध भी खत्म हुआ। लेकिन इसने भी कई राष्ट्रों पर गहरा जख्म छोड़ दिया। बेशक सविता की पहली किरण से स्वागत एवं सुशोभित मुल्क जापान इसमें प्रमुख रहा है।

लेकिन कई ऐसी घटनाएं और भी हैं जिसने तीसरे महायुद्ध के बीज दूसरे महायुद्ध के दौरान ही या युद्ध समाप्ति के साथ ही डाल दिए।



उन सभी घटनाओं में चीन द्वारा 1940 के दशक में दक्षिण चीन सागर पर खींची गई काल्पनिक रेखा या मानचित्र नाइन डेस लाइन प्रमुख है।

दक्षिण चीन सागर दरअसल प्रशांत महासागर का ही एक हाशिए का सागर है जो कि दक्षिण पूर्व में मलक्का की जलसंधि से लेकर ताइवान की जल संधि के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक फैला हुआ है। दक्षिण चीन सागर के तटीय देशों में प्रमुख ताइवान, फिलिपींस, मलेशिया, ब्रूनेई, कंबोडिया इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम है।

दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र हाइड्रोकार्बन एवं अन्य उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों जैसी अकूत संपदा से भरपूर क्षेत्र है इतना ही नहीं इस सागर से होकर दुनिया की अति व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग भी गुजरता है जिससे प्रतिवर्ष 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर से ज्यादा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। जिसकी मात्रा वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। इसलिए इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाए रखना न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद है बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय जिओ पॉलिटिक्स में भी अपनी स्थिति को मजबूत एवं दबदबा पूर्ण बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

उल्लेखनीय है कि चीन में पहले दो प्रकार के शासन हुआ करते थे। चीन के कुछ क्षेत्रों में राजतंत्र था जिस पर खानदानी राजाओं एवं महाराजाओं का राज्य हुआ करता था, तो दूसरी ओर छोटे-छोटे प्रजातांत्रिक राज्य भी हुआ करते थे जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता था। जो बाद में टूटकर ताइवान बन गया और चीन के दूसरे हिस्से जिस पर राजा महाराजाओं का अधिकार था वह बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाने लगा, जो कि समसामयिक दुनिया में चीन के नाम से जाना जाता है।



डॉ. कलाल यादव

दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की हार के बाद ताइवान ने दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों में अपने अधिकार स्वरूप अपने युद्धपोत तैनात कर दिए, जो कि अभी भी तैनात है।

क्योंकि चीन आज भी ताइवान को संप्रभु राष्ट्र न मानकर उसको अपना एक हिस्सा मानता है अतः चीन का यह मानना है कि ताइवान के

द्वारा अपने कब्जे में लिए दक्षिण चीन सागर का वह क्षेत्र भी चीन के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। इस प्रकार दक्षिण चीन सागर के पारासेल एवं स्प्रेटली आईलैंड एवं इन के इर्द-गिर्द के क्षेत्रों पर चीन अपनी मालिकाना हक मानता है।

उधर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन वन ल ऑफ सीज जोकि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय जलसंधि कानून का एक समझौता है, के अनुसार समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक के समुद्री क्षेत्र पर उस तटीय देश का अधिकार होता है। चूंकि चीन द्वारा अख्तियार 9 डेस लाइन फिलिपींस एवं अन्य देशों के उपरोक्त 200 माइल्स तक के समुद्री क्षेत्र के अंदर पड़ता है। इसीलिए अन्य तटीय देश चीन के नाइन डेस लाइन मानचित्र से इतफाक नहीं रखता हैं।

पिछले दिनों फिलिपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन के अनधिकृत दावों के खिलाफ नीदरलैंड, द हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चुनौती दी और उस कोर्ट ने चीन के इस दावे को गलत बताया।

परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के इस फैसले के बाद चीन ने न केवल

एकाग्रता और समर्पण सफलता की राह आसान कर देते हैं।

इस फैसले को मानने से सिर से खारिज किया बल्कि उसने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से भी अपने आप को अलग कर लिया। केवल इस आधार पर कि इससे जुड़े रहना उसके देश की संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि चीन संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार मानता है। इस आधार पर चीन दक्षिण चीन सागर के कुछ क्षेत्रों में रेत भरकर कृत्रिम द्वीप बनाने का काम तीव्र गति से कर रहा है। इतना ही नहीं चीन ने इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर मिलिट्री रनवे, बंदरगाह, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र एवं अन्य बड़े आधारभूत संरचना का निर्माण बड़े स्तर पर एवं तीव्र गति से कर रहा है। जोकि अंतरराष्ट्रीय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले के खिलाफ है बल्कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन वन ल अहफ सीज के भी विरुद्ध है।

क्योंकि दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों से भरा पड़ा है इसलिए दुनिया के तमाम विकसित एवं विकासशील देशों की नजर इस पर टिकी हुई है।

उल्लेखनीय यह भी है कि वियतनाम ने इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए भारत को अधिकृत भी किया है। दूसरी तरफ भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी लिए भी चीन सागर विवाद को अपने लिए काफी संवेदनशील मानता है। और ये दोनों बातें चीन के लिए नागवार गुजर रहा है।

क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अतिरिक्त दुनिया के अन्य ताकतवर देश भी इस क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण से आहत है। जहां एक ओर इसे निर्बाध अंतराष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरा मानता है वहीं दूसरी ओर चीन द्वारा इन क्षेत्रों में किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण कार्य एवं नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कारण पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। अतः अंतराष्ट्रीय समुदाय भी चीन की इस नीति से काफी हद तक खफा है।

क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है एवं सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। अतः चीन यदि निरंतर अपना प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ाता चला गया तो वह समय दूर नहीं जब कई ताकतवर देश भी दक्षिण चीन सागर के इन तटीय देशों के साथ खड़े मिलेंगे, और पूरी दुनिया एक बार फिर से दो भागों में बंटकर एक दूसरे के सामने आंखें तरेरते दिखेंगे और इसकी पूरी संभावना है कि देखते ही देखते पूरी दुनिया तीसरे महायुद्ध की प्रलय कुंड की प्रदक्षिणा में पहुंच जाए

प्रधान कार्यालय
योजना एवं विकास विभाग,

अंतर आंचलिक कार्यालय राजभाषा शील्ड



वर्ष 2017-18 की अंतर आंचलिक कार्यालय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में 'क' क्षेत्र में आंचलिक कार्यालय करनाल तथा 'ख' क्षेत्र में आंचलिक कार्यालय लुधियाना विजेता रहे। राजभाषा शील्ड तथा प्रमाण-पत्र देते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. हरिशंकर जी, कार्यकारी निदेशक डॉ. फरीद अहमद तथा श्री गोविंद एन. डोंग्रे, उपमहाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव आंचलिक प्रबंधक (लुधियाना) श्री अमोलक सिंह(बाएं) तथा, आंचलिक प्रबंधक (करनाल) को राजभाषा शील्ड प्रदान करते हुए।

उस व्यक्ति से गरीब कोई नहीं जिसके पास सिर्फ पैसा है।

हिन्दी, जन-गण-मन की भाषा

भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को जन-मानस व अधिकारिक सहज भाषा मानकर इसे अंगीकार किया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद-343 के तहत इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। तब से 14 सितंबर के दिन को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

एक महान चिंतक का कथन है कि “किसी राष्ट्र के भविष्य के बारे में यदि जानना चाहते हो तो पता लगाओ कि, उस देश की गौरवशाली संस्कृति और भाषा को कितने लोग अपनाए हुए हैं। जाहिर है मेरा देश भी कोई मिट्टी के नाम मात्र का ही देश नहीं है। उसका उत्कर्ष, भविष्य और गौरवगाथा से भरी विराट संस्कृति है। जिसके मस्तिष्क पर हिमालय का ताज और चरणों में दुनिया के दो महासागर हैं। जिसके आंचल में हजारों नदियां कलकल बहती हों, जिसकी दोनों भुजाएं अखंडता और विराटता का शंखनाद करती हों। वो देश भारत आज भी अतुल्य है। दुनिया का शायद ही कोई देश हो या उसकी संस्कृति हो कि जिस देश की सेवा के लिए सैनिक अपने ललाट पर मिट्टी का तिलक लगाकर मातृभूमि के नाम शहीद हो जाते हैं। जो देश दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम् और अतिथि देवो भवः का मंत्र देने वाला भारत आज भी विश्व शिखर पर अतुल्य है। इसकी अतुलता और पारस्परिक संबंधों को जो जोड़ती है वह निःसंदेह मात्र हिन्दी भाषा ही है।

भाषा के क्षेत्र में मनुष्य का प्राकृतिक परिवेश क्या है? उसकी मातृभाषा सारे संसार के शिक्षाशास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य की नैसर्गिक शक्ति का सर्वोत्तम विकास उसकी मातृभाषा से ही सुगम है, सहज है। जिन देशों ने अपनी मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी को अपनाया उसकी रचनात्मक प्रतिभा कुंठित होती जा रही है। भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं जैसी लोकभाषा की उपेक्षा का अर्थ है लोकभावना की उपेक्षा, और लोकभावना की उपेक्षा कर कोई लोकतन्त्र कैसे कब तक स्थापित रह सकता है।

हिन्दी आज अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा बन चुकी है। शब्द सम्पदा बहुत समृद्ध होने की वजह से हिन्दी भाषा में सहज और सरल अभिव्यक्ति की जा सकती है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत की भाषा हिन्दी दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा के क्रमस्तर पर हिन्दी तीसरे स्थान पर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि



नेहा नईम

हिन्दी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है और जितना अधिक हम हिन्दी का प्रयोग अपने दैनिक कार्यों, कार्यालयों में, व्यवहार में लायेंगे उतनी ही प्रगति से भारत का नाम और विकास होगा और विश्व के पटल पर भारत का एक विशिष्ट स्थान बनेगा। आज वैश्वीकरण का दौर है और विदेशों में अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। लोग सैलानी हो या छात्र, अनुवादक हो या प्रतिष्ठान के स्वामी। हिन्दी को ना सिर्फ अपना रहे हैं बल्कि देश की वेशभूषा, खान-पान और हमारी संस्कृति रीति-रिवाज को भी आत्मसात कर रहे हैं। हिन्दी आज विश्व के लगभग 250 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। इनमें से एक तिहाई तो उत्तर अमरीकी, कनाडा में ही है।

इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अरब देश सहित ऑस्ट्रेलिया, इन्डोनेशिया, फिजी, मॉरीशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका सहित अन्य देशों में भी हिन्दी का पठन-पाठन वहां के विद्यार्थी हिन्दी का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। फिजी व मॉरीशस में तो हिन्दी दूसरी राजभाषा का स्थान रखती है। हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करवाने के लिये उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त भाषा घोषित करवाने के लिए प्रयास जारी है। जो अंततः निकट भविष्य में मान्यता प्राप्त होगा। हमारे देश के राजनयिक जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देते हैं हिन्दी भाषा में ही देते हैं।

आज भी देश के कोनों में हिंदी बोली जाती है। गैर-हिन्दी बोलकर, थोड़ा और टूटा हिन्दी भी बोल सकता है और समझ सकता है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली

अपने आप को सुंदर बनाइए.....सदा मुस्कुराईए।

राजभाषा अंकुर

जैसे राज्यों की आधिकारिक भाषा है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और चण्डीगढ़ में इसे दूसरी भाषा की स्थिति दी है। शेष प्रांतों में यदि एक भाषा को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह केवल हिन्दी हो सकती है। यह दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। हम सभी को हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा का हिस्सा बनाने के लिए जो भी कर सकते हैं, करने का प्रयास करें। व्यावहारिक रूप से बोलते हुए, हिन्दी भाषा का उपयोग गर्व का कम प्रतीक नहीं है। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में भाषण देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जो लोग अपनी संकीर्ण अलगाव भावनाओं को प्रदर्शित करते समय हिन्दी का विरोध करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के बारे में अपना मन बदलना चाहिए और एक संकीर्ण मानसिकता के बजाय हिन्दी को अपनाना चाहिए। आजादी के बाद, पिछले साठ वर्षों में हिन्दी दिवस का वार्षिक त्यौहार मनाया जाता है। “स्वतंत्रता के समय हमारे पास

दृढ़ संकल्प था, हम उत्साहित थे लेकिन योजनाकारों का मानना था कि अंग्रेजी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इस सोच से उत्साहित, अंग्रेजी कक्षा -1 से करने के लिए वकालत और सिफारिश की। लोकतंत्र में, क्या यह विडंबनापूर्ण है? हिन्दी भाषा की उपयोगिता इस तथ्य से प्रमाणित है कि यह हमारे

बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, लेखकों और कवियों की भाषा, लोकप्रिय फिल्मों की भाषा है। इसमें विज्ञान और व्यापार की अद्यतन जानकारियाँ भी हैं। वोट मांगने के लिए यह एकमात्र मजबूत भाषा है।

भारत की भाषाई स्थिति और उसमें हिन्दी के स्थान को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी आज भारतीय जनता के बीच राष्ट्रीय संपर्क की भाषा है। हिन्दी की भाषा सुविधा यह है कि इसमें सीखना और व्यवहार करना अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक सुविधाजनक और आसान है। हिन्दी भाषा में एक विशेषता यह है कि यह सार्वजनिक भाषा की विशेषताओं, एक बड़े पैमाने पर शिक्षित लोचदार भाषा के साथ संपन्न है, जिसमें यह अन्य भाषाओं में शब्दों, वाक्य संरचना और बोलचाल अनुरोध स्वीकार करने में सक्षम है। आंकड़ों के खेल के अलावा, हिन्दी में अंतर्राष्ट्रीय भूमिका स्थापित करने के बारे में कई तथ्य और हैं, और वे तथ्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक बात यह है कि पिछली शताब्दी में, हिन्दी भाषा का साहित्य तेजी से विकसित हुआ है, यह कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना और

प्रतिबिंबित साहित्य के क्षेत्र में इतना विकसित हुआ है, कि आज वह किसी भी भाषा का मुकाबला कर सकती है। प्रेमचंद्र, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध, नागार्जुन आदि के लेखन का अनुवाद दुनिया की विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, दुनिया के लोगों के साथ लोगों के जनसंपर्क हिन्दी के माध्यम से स्थापित किए गए हैं। यह रिश्ता रचनात्मक और संवेदनशील भी है, यह सांस्कृतिक विनियमन का एक रूप भी प्रदान करता है। पिछले साहित्य में, हिन्दी भारतीय चेतना का सबसे अधिक प्रतिनिधि है। इतना ही नहीं, हिन्दी के माध्यम से अन्य भाषाओं के साहित्य की शुरुआत भी दुनिया की हिन्दी-कीमतेँ प्राप्त करती है। यह एक महान कारण है कि आज भी लोग दुनिया भर में हिन्दी का अध्ययन कर रहे हैं, जो हिन्दीभाषी या भारतीय मूल के नहीं हैं। इस प्रकार, आज की स्थिति में हिन्दी का एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विकसित हो रहा है।



हिन्दी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का रूप है। सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते, हिन्दी अलग-अलग भाषाओं में उपयोगी और लोकप्रिय शब्दों को शामिल करके सही तरीके से भारत की भाषा बनने की भूमिका निभा रही है। हिन्दी भी जन आंदोलनों की एक भाषा है। गुरुदेव रविंद्र

नाथ टैगोर ने हिन्दी के महत्व को एक बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, ‘भारतीय भाषाएं नदियाँ और हिन्दी महानदी हैं-’। हिन्दी के महत्व को देखते हुए, तकनीकी कंपनियाँ इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह बहुत खुशी का विषय है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी का उपयोग बढ़ रहा है। आज, वैश्वीकरण के युग में, हिन्दी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा के रूप में उभरा है। आज दुनिया भर में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान की किताबें हिन्दी में बड़े पैमाने पर लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया और संचार मीडिया में हिन्दी का तेजी से उपयोग किया जाता है। देश की आजादी से लेकर हिन्दी ने, कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। विकास योजनाओं और नागरिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा हिन्दी का उपयोग प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से, हम बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं वाले लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ-साथ, विदेश मंत्रालय द्वारा “विश्व हिन्दी सम्मेलन” और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

यदि आप अंधकार से अवगत नहीं है तो आप प्रकाश भी नहीं देख पाएंगे।

लोकप्रिय बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा, हर साल सरकार द्वारा “प्रवासी भारतीय दिवस” मनाया जाता है जिसमें दुनिया में रहने वाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं। विदेश में रहने वाले विदेशी भारतीयों की उपलब्धियों के सम्मान में आयोजित यह कार्यक्रम भारतीय मूल्यों की दुनिया में विस्तार कर रहा है। दुनिया भर के करोड़ों लोग, भारतीय समुदाय के लोग हिंदी भाषा का संपर्क भाषा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। यूनेस्को की सात भाषाओं में हिंदी को भी मान्यता मिली है।

भाषा वही है जो जनता द्वारा उपयोग की जाती है। हिंदी भारत के लोगों के बीच संचार का सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए, इसका प्रचार करना चाहिए। इसी कारण से, हिंदी दिवस के दिन, उन सभी लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे केवल अपनी बोलचाल भाषा में हिंदी का उपयोग करें। हिंदी भाषा का प्रसार पूरे देश में एकता की भावना को मजबूत करेगा। 20वीं शताब्दी के आसपास दुनिया के पिछले दो दशकों में, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय विकास बहुत तेज रहा है। वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिंदी भाषा की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। दुनिया के लगभग 150 विश्वविद्यालयों और सैकड़ों बड़े केंद्रों ने विश्वविद्यालय स्तर से अनुसंधान स्तर तक हिंदी का अध्ययन किया है और व्यवस्था की गई है। आज, सजावटी वेबसाइटें, ब्लॉग, ब्लो जी, मतदाता ईमेल, चैट, सर्व वेब, सरल मोबाइल संदेश और अन्य हिंदी सामग्री उपलब्ध हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा पदोन्नति के प्रसार को विस्तारित किया है। जिस आधार पर यह विश्व स्तर पर स्वीकार्य है कि मातृभाषा की संख्या के मामले में हिंदी की जगह दुनिया की भाषाओं में दूसरी है।

चमके है बिंदी सदा, सुन्दर भाल नारी के
बनी देश भारत की, पहचान हिंदी से।।

वर्तमान भारत सरकार की विकास योजनाएं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी तथा प्रान्तीय भाषाओं के माध्यम से बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजनों से हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का सफल आयोजन किया जा रहा है और विदेशों

में भी भारत का साहित्य, शैरो-शायरी, कविता, रचना से ही हिंदी ने भारत और विश्व मिलन हेतु, सेतू का काम किया है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सरकार प्रवासी भारतीय दिवस मनाती आई है जिससे विश्वभर में रहने वाले लोग अपनी भाषा को साझा कर हिंदी को शक्ति प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं भारतीय सिनेमा ने भी खुद को अछूता नहीं रखा है। कभी ऑस्कर हो या कान्स फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेयर अवार्ड विदेशों में आयोजन से ना सिर्फ तकनीक, संस्कृति का ज्ञान आदान-प्रदान होता है बल्कि हिंदी भाषा का भी बड़े पैमाने पर बोलने, लिखने का भी प्रचलन बढ़ा है। इसका उदाहरण निकट वर्षों में देखने को मिलता है जब कोई विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष भारत दौरे पर आता है तो भारत के लोगों को हिंदी में ही अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम या जय हिन्द बोलकर उद्घोषित करते हैं।

इतना ही नहीं अब तो विदेशी समाचार समूह चाहे बी.बी.सी.

हो या वर्ल्ड न्यूज, सबने हिंदी पोर्टल बना रखा है।

मॉइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी. कम्पनी ने भी हिंदी

वर्चस्व स्थापित किया है। फिर वो चाहे

क्रिकेट, डिस्कवरी, जी.ओ., हिस्ट्री चैनल

हो या बच्चों का कार्टून नेटवर्क चैनल।

हिंदी की लोकप्रियता के कारण यह

लोग भी हिंदी को अपनाये हुए हैं।

प्रचार-प्रसार तन्त्र के माध्यम से यह

अंतर्राष्ट्रीय उद्योग स्थापित के सफल

संचालन में हिंदी इनकी मजबूरी हैं।

इनको हिंदी की शक्ति का सहसा आभास

हो गया है कि विश्व-व्यापार में हिंदी का

तिरस्कार कर हम स्थापित नहीं हो सकते।

भारत की आर्थिक शक्ति को दुनिया ने माना है

और साथ ही माना है हिंदी भाषा को। यदि स्वयं हम

हिंदी की शक्ति से अनभिज्ञ रहेंगे तो ना सिर्फ हम हिंदी का बल्कि

हिन्दोस्तां का भी अहित करेंगे। इसलिए हिंदी संस्कार है, हिंदी परम्परा है

और हिंदी ही मोक्ष है। अगर हम इसे विस्मृत करेंगे तो स्वयं का ही समूल्य

पतन, और विनाश करेंगे। हिंदी हमारी आत्मा है, हिंदी का रहना अपने

अस्तित्व को बनाये रखने जैसा है। हिंदी है तो हम हैं, हिंदी यदि हमारे

धमनियों में नहीं है तो हम जीवित होकर भी मृत है। हिंदी हैं हम वतन है

हिन्दोस्तां हमारा।

प्रान्तीय ईर्ष्या-द्वेष
को दूर करने में
जितनी सहायता इस
हिंदी प्रचार से
मिलेगी, उतनी दूसरी किसी
चीज से नहीं मिल सकती-

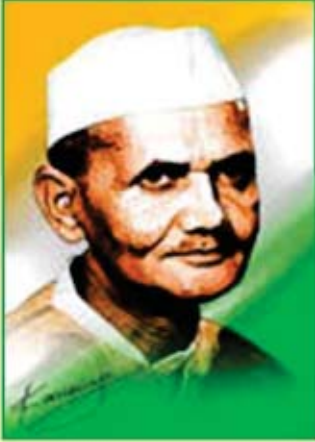
सुभाषचंद्र बोस

प्रधान कार्यालय

योजना एवं विकास विभाग

नज़रिए में बदलाव जिंदगी को बेहतर बना सकता है।

लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिन पर



मेरे विचार से पूरे देश के लिए एक सम्पर्क भाषा होनी चाहिए अन्यथा भाषा के आधार पर हमारे देश का बटवारा हो सकता है जिससे हमारी

देश की एकता भी खत्म हो सकती है भाषा एक ऐसा सशक्त कारक है जो पूरे देश को एकजुट करती है और यह क्षमता हमारी मातृभाषा हिन्दी में है।

लाल बहादुर शास्त्री

अब बाहर आ जाओ ..
सीबीआई वाले चले गए ..
दरअसल वे आपको
सतर्कता जागरूकता सप्ताह
समारोह में वक्तृता
के लिए आमंत्रित
करने आए थे...



ज़रा सोचिए?



सुबह का समय, यही कोई 6:50 बजे होंगे। मैं हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आगरा जाने वाली 'ताज एक्सप्रेस' की प्रतीक्षा कर रहा था। आगरा की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बहुत थी, जो कि इसी गाड़ी की प्रतीक्षा में थे। जैसे ही 7:00 बजे गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर लगने की उद्घोषणा हुई वैसे ही प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर लगते ही सामान्य श्रेणी के डिब्बे की ओर सीट लेने के लिए यात्रियों में भगदड़ मच गई। इनमें कुछ वृद्ध पुरुष, महिलाएं और कुछ नव युवक भी थे। मैंने भी कोशिश की। जैसे तैसे मैं चढ़ तो गया लेकिन सीट नहीं मिल पाई। थोड़ी ही देर में गाड़ी ने स्टेशन छोड़ गति पकड़ ली थी, और सभी ने जैसे-तैसे अपनी-अपनी जगह भी। करीब आधा घंटा बीत चुका था। कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो दो विदेशी महिलाएं खड़ी थीं, शायद उन्हें भी सीट नहीं मिल पाई थी।



प्रदीप कुमार

उनके पास कुछ सामान भी था जिनमें से कुछ उन्होंने हाथ में पकड़े हुए था और कुछ को कंधे पर लटकाए हुए थीं। दोनों के चेहरे थके हुए थे। उन दोनों औरतों के आस-पास कुछ पढ़े-लिखे छात्र, कुछ बुजुर्ग एवं कुछ ग्रामीण लोग भी बैठे थे। तभी दो छात्र जो कि पहले से ही सीट पर थे उन विदेशी महिलाओं को सीट देने के लिए आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक ग्रामीण वृद्ध व्यक्ति उठा और अपने पास बैठे एक लड़के से बोला- ये विदेश से हमारे देश में आई हैं, इन्हें बैठने दो, इनका हम सम्मान नहीं करेंगे तो ये हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगी। हम तो कभी-भी बैठ लेंगे। "यह कहकर उन दोनों छात्रों ने अपनी सीट खाली कर दी और दोनों विदेशी औरतों से बैठने का निवेदन किया। दोनों विदेशी महिलाएं सीट पर बैठी और बड़ी ही नम्रता से उन्होंने कहा "धन्यवाद"। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारे देश के लोग अभी भी इस प्रकार के संस्कार रखते हैं जो इस वक्तव्य को सार्थक करता है- "अतिथि देवो भवः"। अर्थात् मेहमान देवता के समान होता है। जिस तरह से हम अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान करते हैं, उसी तरह विदेश से आया हुआ हर व्यक्ति हमारे देश में अतिथि के रूप में देव तुल्य होता है। उनका हमें सम्मान करना चाहिए। आजकल समाचार-पत्रों में आए दिन हमें विदेशी युवकों, महिलाओं के साथ लूटपाट, ठगी घटनाएं आदि सुनने को मिलती हैं, जोकि बहुत ही शर्मनाक और निन्दनीय हैं। इससे हमारे देश की छवि कितनी खराब होती होगी ज़रा सोचिए !!

प्रधान कार्यालय,
कार्यकारी निदेशक सचिवालय

अनुभव ऐसा शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में पाठ पढ़ाता है।



തൊഴിലിടങ്ങളിലെ മാനസികസമ്മർദ്ദം അതിജീവിക്കുക

തിരക്കേറിയ ജീവിതവും ജോലിയും കാരണം ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം അധികമാകുന്നത് നമ്മുടെ ശാരീരികാരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ആഗോള വ്യാപകമായി എല്ലാ മനുഷ്യരേയും ഒരുപോലെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ അഭാവം. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കു പ്രകാരം ലോകത്താകമാനം 300 മില്യൻ ആളുകൾ ഇന്നു വിഷാദത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. തൊഴിലിടങ്ങളിലെ മാനസികാരോഗ്യമായിരുന്നു 2017 ലെ മാനസികാരോഗ്യദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം.

അമിതമായ ജോലിഭാരം, കുറഞ്ഞ ശമ്പളം, പെട്ടെന്നുള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെടൽ, ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനോ, മുന്നേറാനോ ഉള്ള അവസരം ഇല്ലായ്മ, ജീവനോ, സുരക്ഷക്കോ ഒട്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത തൊഴിലിടങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് തൊഴിലിടങ്ങളിലെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ. ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അമിത പ്രതീക്ഷയും മത്സര ബുദ്ധിയോടെയുള്ള സമീപനവുമൊക്കെ മാനസിക സംഘർഷത്തെ കുട്ടുകയും കുടുംബ ബന്ധത്തെയും, വ്യക്തി ജീവിതത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ജോലിമാത്രമാണ് എല്ലാം എന്ന ചിന്ത മാറ്റിവയ്ക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമിക്കാനും, മാനസികോല്ലാസത്തിനുമുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക. കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതും വേഗം തീർക്കേണ്ടതുമായ ജോലികൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ജോലി പിന്നത്തേയ്ക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതല്ല. ഇത് പിന്നീട് ജോലിഭാരത്തെ കൂട്ടാനേ ഉപകരിക്കൂ. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക.

തൊഴിൽ സംബന്ധമായ സമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം. തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട് പരിഹരിക്കാൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്കു തങ്ങളുടെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള സാഹചര്യം നൽകുക, സഹപ്രവർത്തകരുമായി നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ വിദഗ്ദരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയാൽ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

हिंदी रूपांतर

कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन

तीव्र जीवन शैली और थकावटपूर्ण नौकरी के कारण ज्यादातर लोग तनाव के शिकंजे में बुरी तरह फंसे हुए हैं। तनाव की अधिकता हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यह महामारी आज पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) के अनुसार तकरीबन 300 मिलियन लोग तनाव से ग्रसित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तनाव को विश्व स्वास्थ्य दिवस की मुख्य विषय-वस्तु के रूप में घोषित किया है। वर्ष 2017 का अभियान-नारा “डिप्रेशन: लेट्स टॉक” अर्थात् “तनाव : आओ बात करें”, था।

जटिल कार्य, कम वेतन, नौकरी खोना, नौकरी में पदोन्नति की कम संभावना, कार्यस्थल पर जीवन व सुरक्षा को कम वरीयता दी जाती हो, नौकरी के प्रारूप से अधिक उम्मीद तथा जीवन की कोई सुरक्षा न होना, सहकर्मियों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे कार्यस्थल पर मानसिक तनाव में वृद्धि होती है तथा परिवार के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए हमें इसका समाधान ढूँढना है और ऐसे तनाव को कम करना है।

सर्वप्रथम, ऐसी स्थितियों को पहचानना है जो कार्यस्थल पर मानसिक तनाव को सृजित करते हैं। सदैव तथा केवल कार्य, ऐसी प्रवृत्ति से परहेज करना चाहिए। व्यक्ति को मानसिक आराम हेतु मनोरंजन, रुचि इत्यादि के अनुसार नए तरीके खोजने चाहिए। कार्यस्थल पर आवश्यक व समयबद्ध कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा इसे समय से पूरा किया जाना चाहिए। कोई भी शिथिलता केवल अतिरिक्त भार पैदा करेगी जिससे तनाव पैदा होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त हमें अपने कार्य को रुचि लेकर करना चाहिए।

नौकरी से संबंधित तनाव, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। प्रबंधन को कार्यस्थल के इन मसलों को सुलझाने के लिए पहल करनी चाहिए और कर्मचारी तथा सह कर्मचारी से अच्छे संबंध हेतु तरीके खोजने चाहिए। प्रबंधन द्वारा श्रमिकों को अपनी समस्याओं को साझा करने हेतु प्रेरित करना चाहिए और एक बेहतर सहकर्मी संबंध के लिए कार्य करना चाहिए। प्रबंधन को कार्यस्थल के तनाव से लड़ने व

समाधान खोजने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करना चाहिए। कार्यस्थल प्रबंधन में प्राथमिकता के रूप में ऐसी चीजों को रखने से मानसिक तनाव या अवसाद की बीमारी को कार्यस्थल में नियंत्रित या कम किया जा सकता है।



बीनू जोन्स

सहायक महाप्रबंधक(खुदरा ऋण)

उड़ने की चाह

रवि प्रकाश मौर्य

पैरों को जमीं पर रखकर,
आसमां में उड़ने की चाह रखता हूँ;

हाथ की लकड़ी में नहीं,
मैं तो खुद पर विश्वास रखता हूँ;

विश्वास है अपने दम पर,
मंजिल को पार करने का दम रखता हूँ;

ऐ मंजिल! कितना इंतजार कराएगी ...?
गिर-गिर कर उठने का दम रखता हूँ;

हौंसले बुलंद हैं,
चट्टानों को पार करने का दम रखता रखता हूँ;

ऐ मंजिल !
पैरों को जमीं पर रखकर,
आसमां में उड़ने की चाह रखता हूँ।

प्रधान का. व्यैकल्पिक वितरण चैनल

ध्येय जितना महान होता है, उसका रास्ता उतना ही लंबा और बीहड़ होता है।

बैंकों में धोखाधड़ी-एक संपूर्ण आयाम

“यदि आप कुछ भी मूर्खता से नहीं कर रहे हैं तो बैंकिंग बहुत अच्छा व्यवसाय है”-वारेन बुफे

भारतीय बैंकिंग प्रणाली अपनी मजबूत संरचना के लिए दुनिया में जानी जाती है, जिसका उदाहरण इससे पता चलता है कि जब 2007-08 में विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट से जूझ रही थी तब भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने अपने सशक्त योजना एवं मजबूत नियंत्रण से भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व स्तरीय मंदी के प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव से बचा लिया। बैंक, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। बैंक जनता के पैसे से लेनदेन करती है इसलिए उनका विशेष सतर्क होना जरूरी है। वर्तमान परिवेश में लगातार उजागर होते बैंक घोटालों की लंबी फेहरिस्त यह बयां कर रही है कि देश की बैंकिंग व्यवस्था में नीतिगत और क्रियान्वयन स्तर पर बड़ी खामियां व्याप्त हैं। जहां धोखाधड़ी को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं बैंकों की है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर बैंकों को धोखाधड़ी प्रवण प्रमुख क्षेत्रों तथा उन्हें रोकने के लिए आवश्यक रक्षा उपायों की जानकारी देता रहता है। सन् 1991 में हुई अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने काफी वृद्धि और परिवर्तन अनुभव किया है। हालांकि बैंकिंग उद्योग आमतौर पर विनियमित और पर्यवेक्षित है, पर जब नैतिक प्रथाओं, वित्तीय संकट और कॉर्पोरेट शासन की बात आती है, तो यह क्षेत्र अपनी तरह की चुनौतियों से पीड़ित है। हाल के वर्षों में, भारत में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले नियमित तौर पर सूचित हो रहे हैं। उदारीकरण के बाद तो बैंकिंग धोखाधड़ी की आवृत्ति, जटिलता और लागत में कई गुना वृद्धि हुई है जो कि, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए चिंता का गंभीर कारण है।

धोखाधड़ी को “किसी भी” रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 17 के तहत, धोखाधड़ी-“वह व्यवहार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे पर एक छलपूर्ण लाभ हासिल करना चाहता है।”

धोखाधड़ियों का वर्गीकरण:

धोखाधड़ियों की मामलों की सूचना देने में एकरूपता लाने के लिए धोखाधड़ियों को भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वास भंग।
- जाली लिखतों, लेखा-बहियों में हेर-फेर अथवा बेनामी खातों के जरिए कपटपूर्ण नकदीकरण और संपत्ति का परिवर्तन।
- पुरस्कृत करने अथवा अवैध तुष्टीकरण के लिए दी गयी अनधिकृत ऋण सुविधाएं।
- लापरवाही और नकदी की कमी।
- छल और जालसाजी।

- विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों में अनियमितताएं।
- अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी, जो उक्त किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत शामिल न हो।



स्नेहा जायसवाल

- ऊपर मद (डी और एफ) में उल्लिखित ‘लापरवाही और नकदी की कमी’ तथा ‘विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों में अनियमितताओं’ के मामलों को तभी धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया जाता है यदि छल करने/ धोखा देने के इरादों का संदेह हो/ इरादा साबित हो गया हो।

बैंक धोखाधड़ी के प्रकार:

- खाता खोलने वाली धोखाधड़ी - इसमें छलपूर्ण चेक का जमा और नकदीकरण शामिल है।
- चेक काईटिंग - एक विधि जहां जमाकर्ता बिना किसी ब्याज शुल्क के अनधिकृत ऋण प्राप्त करता है।
- चेक धोखाधड़ी - चुराए गए चेक और जाली हस्ताक्षर के माध्यम से की गयी धोखाधड़ी इसमें सबसे आम है।
- नकली प्रतिभूतियां - दस्तावेज, प्रतिभूतियां, बांड और प्रमाणपत्र को जाली, डुप्लिकेट, समायोजित या परिवर्तित किया जा सकता है और ऋण संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।
- कंप्यूटर धोखाधड़ी - बैंकिंग, अनधिकृत क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक डिस्क्रेट के साथ छेड़छाड़ करना और उस खाते को क्रेडिट देना जिसके लिए धन मूल रूप से इरादा नहीं था।
- ऋण धोखाधड़ी - जब धन गैर उधार लेने वाले ग्राहक या उधार लेने वाले ग्राहक को दिया जाता है, जो अपनी क्रेडिट सीमा को पार कर चुके हैं।
- मनी लॉडरिंग धोखाधड़ी - नकदी को बैंकों में अवांछनीय लेनदेन में परिवर्तित करके, यह अवैध प्राप्त धन का अस्तित्व, स्रोत या उपयोग को छुपाने का एक माध्यम है।
- मनी ट्रांसफर धोखाधड़ी - एक वास्तविक निधि हस्तांतरण निवेदन में परिवर्तन, जैसे मेल, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया, टेलैक्स।
- टेलैक्स धोखाधड़ी - धन को दूसरे खाते में मोड़ने के लिए, कोड के रूप में टेलैक्स के माध्यम से पारित संदेशों को बदला जा सकता है।
- प्रत्यय-पत्र (लैटर ऑफ क्रेडिट) - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे आम- ये सीमाओं के पार उपयोग किए जाने वाले यंत्र हैं जो जाली, बदले या समायोजित किये जा सकते हैं।

धोखाधड़ी की दो प्रमुख श्रेणी:

अ) प्रौद्योगिकी से संबंधित -

बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल धोखाधड़ी के मामलों में से 65% प्रौद्योगिकी से संबंधित धोखाधड़ी है (इंटरनेट बैंकिंग चैनल, एटीएम और क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्ड जैसे अन्य वैकल्पिक भुगतान चैनल के माध्यम से की हुई धोखाधड़ी)।

बैंक उन्नत, दक्षता और लागत में कटौती के लिए मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे नए सेवा वितरण प्लेटफॉर्म अपना रहे हैं। बैंक के ग्राहक तकनीकी प्रेमी बन गए हैं और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं और उत्पादों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं कुछ वर्षों में अधिक बढ़ी हैं, पर वास्तविक राशि आमतौर पर बहुत कम ही है।

आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे प्रतिरक्षी उपायों को लागू करें जैसे कि लाभार्थियों के मूल्य/संख्या पर कैंप डालें, प्रति दिन/प्रति लाभार्थी को लेनदेन प्रभावित करने की संख्या पर लगाम, और बड़े मूल्य के भुगतान के लिए डिजिटल हस्ताक्षर की शुरुआत करें।

ब) अग्रिम संबंधित -

अग्रिम पोर्टफोलियो से संबंधित धोखाधड़ी बैंकिंग क्षेत्र की धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि का सबसे बड़ा हिस्सा है। (जिसमें 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि शामिल है)

ऐसे मामलों में शामिल कुल राशि का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक(पीएसबी) में आते हैं।

बड़े मूल्य अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी, जो सभी हितधारकों को महत्वपूर्ण चुनौती देते हैं, वो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्रित हैं। क्रेडिट संबंधी धोखाधड़ी के अधिकांश हिस्सों का कारण, अपर्याप्त मूल्यांकन प्रणाली, खराब संवितरणोत्तर पर्यवेक्षण और अपर्याप्तता है।

बेईमान उधारकर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ियां:

यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में बैंक धोखाधड़ियां, जिनमें कंपनियां, भागीदारी फर्म/साझा कंपनियां/स्वाम्य प्रतिष्ठान और/अथवा उनके निदेशक/भागीदार शामिल हैं, निम्नलिखित विभिन्न तरीकों से की जाती हैं:

- लिखतों की कपटपूर्ण भुनाई अथवा समाशोधन में काइट फ्लाईंग।
- बैंक की जानकारी के बिना गिरवी रखे गए स्टॉक को कपटपूर्ण ढंग से हटाना/दृष्टिबंधक रखे गए स्टॉक को बेचना/स्टॉक विवरण में स्टॉकों का मूल्य बढ़ाकर दर्शाना तथा अतिरिक्त बैंक वित्त का आहरण।

विशेषज्ञों के अनुसार एनपीए एवं बैंक धोखाधड़ी में बड़े उद्योगों का हिस्सा करीब 70 फीसदी है। उनका कहना है कि बैंक तो आम आदमी को दिए लोन की आमदनी से चल रहे हैं।

रिजर्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर ऑडिट करने की भी सलाह दी है ताकि बहुविध वित्तियन के मामलों का पता शुरुआती चरणों में ही लगाया जा सके।

सांकेतिक तस्वीर:

बैंक व्यवस्था चलाने में योगदान आम जनता दे रही है। लेकिन बैंक हजारों करोड़ का कर्ज उद्योगपतियों को दे रहे हैं जबकि एक आम आदमी को ऋण लेने में कई पेचिदा प्रक्रियाओं से गुजरना होता है।

लिहाजा आज आम आदमी यह सवाल पूछ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बड़े-बड़े कारोबारियों को महज दो-तीन दिन में 280 करोड़ का लोन कैसे मिल जाता है? पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और रोटोमैक के बाद देश की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक हापुड़ की सिम्भाऔली शुगर्स लिमिटेड और उसके अधिकारियों के खिलाफ करीब 110 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने के बाद, यह सवाल और बुलंद हो गया है। हालत यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के सुझाव अनेक वित्त विशेषज्ञों द्वारा दिए जा रहे हैं। लगातार उजागर हो रहे बड़े मूल्यों की धोखाधड़ी ने बैंकिंग सेक्टर को हिला दिया है।

निजीकरण का सुझाव:

पीएनबी घोटाले के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के सुझाव अनेक वित्त विशेषज्ञों द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या यह समाधान है? क्योंकि आंकड़ों पर गौर करें तो 2007 से 2017 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के एनपीए में लगभग 311 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में प्राइवेट बैंकों का एनपीए भी लगभग 270 प्रतिशत बढ़ा है। दोनों बैंक तो साथ-साथ चल रहे हैं। सन् 1995, 2005 व 2008 में प्राइवेट बैंक भी डूबे, तो फिर उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का भी पैसा गया है। इसलिए सिर्फ निजीकरण कोई समाधान नहीं हो सकता।

अनुशासण:

उच्च राशि शामिल होने की वजह से व सीवीसी द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाने की बोलिप्र प्रक्रिया के कारण, भारत में हो रहे सभी बैंकिंग धोखाधड़ी में, क्रेडिट से संबंधित धोखाधड़ी का अधिकतम प्रभाव है।

धोखाधड़ी मुख्य रूप से शीर्ष प्रबंधन के पर्याप्त पर्यवेक्षण की कमी, कर्मचारियों के लिए दोषपूर्ण प्रोत्साहन तंत्र, कर्मचारियों, कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं और तीसरी पार्टी एजेंसियों के बीच मिलीभगत; कमजोर विनियामक तंत्र; धोखाधड़ी के चेतावनी संकेत को जल्द पता लगाने के लिए उपयुक्त उपकरण और प्रौद्योगिकियों की कमी, बैंक कर्मचारियों में जागरूकता की कमी और भारत व विदेशों में अलग-अलग बैंकों के बीच समन्वय की कमी के कारण हो सकती है। रिपोर्ट करने के कानूनी प्रक्रियाओं में विलंब, और सिस्टम में विभिन्न खामियों को धोखाधड़ी और

अपनी बुराई को अपने से पहले ही मर जाने दें।

एनपीए के कुछ प्रमुख कारण माना जाते हैं।

प्रयासों के बावजूद, बैंक उन व्यक्तियों के दोषसिद्धि में बहुत सफल नहीं हुआ जो वित्तीय अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। इस समस्या के मूल कारणों हैं- एक अच्छी फोरेंसिक एकाउंटिंग एवं अच्छी कानूनी समझ की कमी।

इसलिए, निम्नलिखित अनुशंसाओं को धोखाधड़ी के शुरुआती पहचान के लिए सुझाव दिया गया।

- i) स्वतंत्र विशेष संवर्ग: सरकार सभी भारत सेवाओं के आधार पर एक स्वतंत्र विशेष अधिकारियों के कैडर पर विचार कर सकती है, जो सर्वोत्तम वित्तीय जानकारी और वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए कानूनी जानकारी से सुसज्जित हैं और ऐसे घोटालों की जांच अल्प अवधि में करने में प्रभावी और सक्षम हैं।
- ii) अपने बाजार को जानें: अपने विक्रेता और अपने ग्राहक को जानने के अलावा, बैंकों को अपने बाजारों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रत्येक बैंक के भीतर एक समर्पित सेल होना चाहिए जो उस कंपनी/फर्म जिससे वे उधार देते हैं और संबंधित उद्योग के व्यापक आर्थिक वातावरण या जहां उत्पादों का विपणन करते हैं, उसका आकलन करें।
- iii) आंतरिक रेटिंग एजेंसी: बैंकों के पास एक शक्तिशाली आंतरिक रेटिंग एजेंसी होनी चाहिए, जो ऋण मंजूर करने से पहले, बड़ी टिकट परियोजनाएं का मूल्यांकन करती है। वर्तमान व्यापक-आर्थिक स्थिति व वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के अनावरण को ध्यान में रखते हुए, रेटिंग एजेंसी को ब्रांड के नाम या मूल कंपनी की क्रेडिट योग्यता से प्रभावित हुए बिना, सख्ती से व्यावसायिक मॉडल/ परियोजना की योजना के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। अगर आंतरिक और बाहरी एजेंसियों की रेटिंग समान नहीं हैं तो इस तरह के मतभेदों का कारण स्थापित करने के लिए एक जांच आयोजित की जानी चाहिए। इसके अलावा, किसी भी संभावित संलयन की संभावना को रोकने के लिए बैंक को ऐसी परियोजनाओं के मूल्यांकन में कम से कम 2-3 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सेवाएं लेनी चाहिए।
- iv) नवीनतम तकनीक का उपयोग: बैंकों में डेटा संग्रह तंत्र बहुत पुराने हैं और उसे एक संशोधन की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाया गया ढांचा, लाल ध्वजांकित खाते (आरएफए) और प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को क्रमशः सर्वोत्तम उपलब्ध आईटी सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स को नियोजित करना चाहिए, जो ग्राहकों के लेनदेन के पैटर्न का विश्लेषण कर ग्राहकों की बेहतर प्रोफाइलिंग में मदद करेगा और बैंकों के लिए एक वास्तविक समय निगरानी प्रदान करेगा।

v) क्षेत्रीय स्तर पर बाहरी आंदोलन की निगरानी: आरबीआई इसे निगरानी के दायरे की विस्तारित करने पर विचार कर सकता है और उसे सेबी सर्किट ब्रेकर की तर्ज पर, क्षेत्रीय स्तर पर लेनदेन की बाहरी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए जो वित्तीय धोखाधड़ी के शुरुआती संभावित संकेतों को ट्रैक करने में प्रभावी हो सकता है।

vi) तीसरे पक्ष के लिए मजबूत दंडनीय उपाय: सरकार को बैंक धोखाधड़ी से संबंधित खातों में अंकित तीसरे पक्ष की भूमिका की जांच करने पर विचार करना चाहिए जैसे कि चार्टर्ड एकाउंटेंट, वकीललेखा परीक्षक, और रेटिंग एजेंसी और भावी प्रतिरोध के लिए सख्त दंडनीय उपायों को स्थापित करना चाहिए।

छलपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग को रोकने के लिए मजबूत कानून: ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां लेखा परीक्षकों की उत्तरदायित्व में सुधार करने के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत किया जा सकता है।

- उनमें से एक केवाईसी मानदंडों को मजबूत करना।
- व दूसरा है इच्छाशक्ति डिफॉल्ट जिसे दण्डनीय अपराध बना दिया जाना चाहिए।

vii) ग्राउंड इंटेलिजेंस संपत्तियां: बैंकों को चाहिए कुछ खुफिया एजेंसी, जिन्हें उधारकर्ताओं की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए तैनात किया जा सकता है और जो वास्तविक समय पर अनुपालन और धोखाधड़ी की जल्दी पहचान सुनिश्चित कर बैंक की मदद करने में सक्षम हो। बैंकों में कुशल / प्रशिक्षित अधिकारियों से बना एक विशेष धोखाधड़ी निगरानी एजेंसी स्थापित किया जाना चाहिए। वाणिज्यिक बैंक, सीबीआई, आरबीआई, सेबी जैसी एजेंसियों की विशेषज्ञता के साथ एक विशेष जांच एजेंसी की भी आवश्यकता है।

viii) धोखाधड़ी के मामले को संभालने के लिए समर्पित विभाग: पीएसबी की प्रत्येक कॉर्पोरेट शाखा में एक समर्पित विभाग होना चाहिए जो कानूनी सहायता से सुसज्जित है, तथा जो जांच एजेंसियों के एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है।

ix) वित्तीय साक्षरता: कई बार, कर्मचारी धोखाधड़ी की सटीक परिभाषा नहीं जानते हैं। इसलिए, नियमित आधार पर कर्मचारियों के लिए शिक्षा तथा प्रारंभिक धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं को होना चाहिए।

हिंदी भाषा में है अपनत्व इसका अपना है महत्व।

राजभाषा अंकुर

- x) पारदर्शी भर्ती और पर्याप्त मुआवजे: बैंकों को उच्चतम स्तर पर कॉर्पोरेट शासन सुनिश्चित करना है। शीर्ष प्रबंधन को नैतिक प्रथाओं के लिए दिशानिर्देशों और नीतियों को निर्धारित करने की आवश्यकता है और पूरी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। शीर्ष प्रबंधन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष प्रबंधन स्तर पर उपयुक्त भर्ती प्रक्रिया पर उचित प्राथमिकता, जवाबदेही के साथ कम से कम 3 साल की सेवा पर जोर दिया जाना चाहिए।
- xi) एजेंसियों के बीच सामंजस्य: प्रमोटरों की निजी संपत्ति पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, बैंकों और सीबीडीटी जैसी एजेंसियों के बीच एक गोपनीय सामंजस्य होना चाहिए। किसी भी जानकारी के मामले में जो लाल झंडा (भयसूचक चिह्न) उठा सकता है, सीवीसी और भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए प्रमोटर की जांच करनी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक सुकल्पित स्वरूप की सभी धोखाधड़ियों के ब्यौरे बैंकों को देता रहता है ताकि बैंक उपयुक्त प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों द्वारा आवश्यक रक्षोपाय/निवारक उपाय प्रारंभ कर सकें। इस सतत प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी बैंक, धोखाधड़ियों से संबंधित पूरी जानकारी और उनके द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई से रिजर्व बैंक को अवगत कराएं।

बैंकों, वित्तीय संस्थानों और भुगतान प्रणाली के कामकाज में धोखाधड़ी का काफी कठोर और मजबूत प्रभाव होता है। इसके अलावा, धोखाधड़ी बैंकिंग प्रणाली में लोगों के आत्मविश्वास पर प्रभाव डालती है और अर्थव्यवस्था की अखंडता और स्थिरता को नुकसान पहुंचाती है। यह बैंकों को नीचे ला सकता है, केंद्रीय बैंक की पर्यवेक्षी भूमिका को कमजोर कर सकता है और यहां तक कि सामाजिक अशांति, असंतोष और राजनीतिक उथलपुथल भी पैदा कर सकता है।- हाल के दिनों में तकनीकी प्रगति ने धोखाधड़ी के लिए बैंकों की भेद्यता को बढ़ा दिया गया है। हमें एक व्यापक बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती के रूप में देखना होगा। बैंकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए परिश्रमपूर्वक और सतर्कता से काम करना सुनिश्चित करना ही एक मात्र उपाय है।

प्रधान कार्यालय
धोखाधड़ी निगरानी विभाग

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा विचार-विमर्श कार्यक्रम...



8 दिसंबर 2018 को संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा दिल्ली बैंक नराकास के सदस्यों से विचार-विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय संसद सदस्यों तथा (दिल्ली बैंक नराकास के) अन्य सदस्यों के साथ हमारे बैंक के औचलिक कार्यालय-1 नई दिल्ली से सहायक महाप्रबंधक सुश्री अर्चना शर्मा तथा राजभाषा प्रबंधक श्री निखिल शर्मा।

सारे जात-पात बंधन तोड़े, हिंदी भाषा सारे देश को जोड़े।

विकास की भाषा बनती हिन्दी

इस बात में दो राय नहीं एवं सर्वविदित है कि सम्पूर्ण भारत में 14 सितम्बर हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की राजभाषा हिन्दी के प्रति लोगों के हृदय में एक सशक्त भाषा-दृष्टि विकसित करने में हिन्दी दिवस का आयोजन बैंकों अथवा दूसरों कार्यालयों में अधिकता से लाभदायक सिद्ध हुआ है। इससे हमारे देश प्रदेश एवं समाज में हिन्दी की स्वीकृति तथा लोकप्रियता बढ़ गयी है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा हो गई है वित्त, कारोबार और दैनिक आवश्यकताओं के आदान प्रदान के क्षेत्र में भी हिन्दी की जड़े मजबूत हुई हैं। राजभाषा हिन्दी अंग्रेजी के अपेक्षाकृत पीछे चल रही थी दोयम दर्जे के नागरिक की तरह। कालांतर में वह अंग्रेजी के समक्ष आ गई थी और आज के आधुनिक युग में यह अंग्रेजी से आगे चल रही है। इतना ही नहीं भाषा के प्रति हमारी मूल दृष्टि बदल गयी है। पहले हम सोचते थे कि अंग्रेजी का कोई विकल्प नहीं है। आज यह स्थिति नहीं है। इसे राजभाषा हिन्दी का इच्छित विकास कहा जा सकता है जिसके लिए हिन्दी भाषी लोगों की तरह हिन्दीतर प्रदेश के लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

कई प्रकार की कठिनाइयों को पार कर राजभाषा हिन्दी ने अपना एक इच्छित स्वरूप प्राप्त किया है। अलग-अलग प्रदेशों के भिन्न-भिन्न कार्यालयों में हिन्दी दिवस को निश्चित या औपचारिक ढंग से मनाया जाता है। अर्थात् उस भाषा के प्रति किसी के हृदय में आस्था

जागृत नहीं होती है। लेकिन ध्यान दिया जाये तो हिन्दी भाषा की प्रोन्नति अवश्य हुई है। शुरुआत में हिन्दी दिवस से जुड़े कई कार्यक्रम संवैधानिक आपूर्ति हेतु चलाये जाते थे लेकिन आज हिन्दी के प्रति प्रेम से इस भाषा की दशा बदल गयी है। राजभाषा के सुगम एवं सरल प्रयोग के लिए बनाए गये प्रौद्योगिकी औजार अत्यन्त प्रशंसनीय हो गये हैं।

हिन्दी के अनुवाद कार्य को सरल, सुगम बनाने के लिए इतने साफ्टवेयर आजकल उपलब्ध है, जिनकी सहायता से हिन्दी का केवल अनुवाद ही नहीं, बल्कि जहाँ अंग्रेजी का वर्चस्व था, वहाँ हिन्दी के वेबसाइटों के उपभोक्ताओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आजकल हिन्दी अपनी सीमाओं से बाहर

आ चुकी है। वह नई प्रौद्योगिकी और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा बन रही है। इस प्रक्रिया को तेज गति देना अत्यन्त आवश्यक है। राजभाषा ही नहीं, यह एक वैश्विक भाषा के रूप में शीघ्रता से बदलाव आ रहा है यह परस्पर सम्पर्क के अलावा विकास की भाषा भी बन रही है। इस प्रक्रिया को यदि हम उचित तरीके से रचनात्मक बनायें तो विश्वभाषा के रूप में विश्व के मंच पर उचित स्थान बना सकती है। लेकिन इसके लिए प्रत्येक भारतीय को पहले भाषायी सकीर्णताओं से मुक्त होना होगा और देश की अन्य विकसित भाषाओं के विकास के लिए कार्य करना होगा।



मनजीत सिंह मलहोत्रा

हिन्दी दिवस के इस अवसर पर यह कहना अनुचित नहीं है कि राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले कई कार्यक्रम

बहुत पुराने होते जा रहे हैं इसका कारण यह है कि हम राजभाषा के उस सीमित चक्र से ऊपर आ चुके हैं इस भाषा के प्रयोग से अपने देश को आगे ले जाना है। इसे जीवंत भाषा के रूप में बदलने के लिए राजभाषा कार्यशाला का आयोजन अपर्याप्त

है। तिमाही बैठकों उनके लिए रिपोर्ट बनाने के मूल कार्यों, शब्दों तथा पत्रों आदि की गिनती लेने के मुखतापूर्ण, से ऊपर उठकर प्रत्येक कार्यालय, उपक्रम, शोध संस्थान तथा वित्तीय संस्थान को यह निश्चित करना होगा कि हम अपनी इस भाषा का उपयोग दिल से करने जा रहे हैं, जिससे हमारी विकास यात्रा में कोई रोक-टोक नहीं आएगी। दो-तीन शताब्दियों से उपयोग में रही एक विदेशी भाषा के स्थान पर हम एक देसी भाषा का उपयोग करने जा रहे हैं। हिन्दी दिवस को अत्याधिक महत्वपूर्ण समझते हुए प्रत्येक देशवासी को इस भाषा के उपलक्ष में भिन्न-भिन्न स्थान पर समारोह आयोजन करके इसकी उपयोगिता एवं महत्व का संदेश दे जिससे प्रत्येक देशवासी के मन में इस भाषा के प्रति एक विशेष ऊर्जा प्रदान की जा सके।

मुख्य प्रबन्धक (सेवानिवृत्त) मेरठ।

सीखो जी हर भाषा अनेक, पर हिंदी आपको बनाए विशेष।

छपते-छपते

बैंक के वर्ष 2019 के कैलेंडर का विमोचन



बैंक के वर्ष 2019 के कैलेंडर का विमोचन माननीय वित्त राज्यमंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला जी ने किया। चित्र में श्री शिव प्रताप शुक्ला जी के साथ बैंक के अध्यक्ष (गैर कार्यकारी) डॉ. चरन सिंह जी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. हरिशंकर जी, कार्यकारी निदेशक डॉ. फरीद अहमद जी एवं श्री गोविंद एन. डोंग्रे जी तथा बैंक के निदेशक दृष्टव्य है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

१६६ गो गोविल्लु नो वो इउरि।



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है



आप सभी को
पोंगल, बिहू, लोहड़ी
और मकर संक्रांति की
हार्दिक शुभकामनाएं

हमारे ऑफरों के साथ
त्यौहारों का आनन्द उठाएं

सुखमनी डिपॉजिट स्कीम

• **7.10%** प्रतिशत की उच्च ब्याज दर

• जमा अवधि **550** दिन

• न्यूनतम राशि **₹5000/-** और अधिकतम राशि **₹1** करोड़

अपना घर



- आकर्षक ब्याज दर।
- 40 वर्ष तक दीर्घकालिक पुर्नभुगतान अवधि।
- कोई प्रक्रिया शुल्क एवं पूर्व-भुगतान प्रभार नहीं।

अपना वाहन



- आकर्षक ब्याज दर।
- 7 वर्ष तक पुर्नभुगतान अवधि।
- नये वाहन ऋण के लिए कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं।

व्यापार लोन



- आकर्षक शर्तों पर ₹ 10 करोड़ तक कार्यशील पूंजी/व्यापार ऋण।
- मियादी ऋण के लिए 10 वर्ष तक पुर्नभुगतान अवधि।

एसएमई लिक्विड प्लस



- बहुत आकर्षक ब्याज दरों पर एमएसएमई के लिए आसान व्यापार क्रेडिट।
- नगदी की कमी को दूर करने के लिए ₹ 5 करोड़ तक अधिकतम क्रेडिट सुविधा।

विस्तृत जानकारी के लिए अपनी नजदीकी शाखा में सम्पर्क करें। टोल फ्री नं. 1800 419 8300 डायल करें या www.psbIndia.com देखें